ALL-IN-ONE PAPERATHON

CIVIL MINOR LAW - I

भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (ICA)

संपत्ति-अंतरण अधिनियम, 1882 (TPA)

भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (IPA)

Prelims MCQs,
Mains & Interview Questions

हिंदी संस्करण

Sample Preview

Linking Publication

Jodhpur, Rajasthan

www.LinkingLaws.com

Preface

Hello & नमस्कार,

Since 2011, when I entered in Law field, I have felt that current system of studying law as a Law learner is quite traditional (like 1980's competition times). I strongly believed one thing that if you want to fight in present tough competition war like judiciary exams or any other law exam, you must be equipped with smart techniques to learn with tech support. So, in student life as LL.B. student, I used to start linking with one provision other similar provisions at same time, so that I can recall multiple sections/concepts in one MCQs.

Along with that I do believe in one statement, **"वर्तमान को समझने के लिए, अतीत को देखें और फिर भविष्य के बारे में सोचना शुरू करें"**. This statement is directly linked with every student life. So, I found previous papers helpful to understand previous exam level, source of question asked in those exam etc. But frankly saying, I was not satisfied with traditional way of just solving previous exam papers MCQs, instead I decided that to get better output in preparation, we need to analysis the previous paper subject wise rather year wise.

All these ideas, efforts, and experiences have come together in one powerful initiative—"**Paperathon**." It's not just a study tool; it's a movement towards smarter, sharper, and Subject wise strategic judiciary preparation. It is featured with the Linking Technique—a modern, game-changing approach that connects concepts, laws, and real-world application like never before.

In **Prelims**, you'll get linked provisions with clear explanations, helping you master the 'why' behind every question. In **Mains**, you'll learn how to write answers that don't just inform but impress—through linking-based structure and analysis. And for the **Interview**, Paperathon brings you exclusive, real-time Questions & Answers straight from those who've cracked it—now proudly serving as Civil Judges across various states.

This is more than preparation—it's transformation. And I truly believe Paperathon will save you time, boost your confidence, and help you walk into every stage of the exam with clarity, strategy, and a winning edge.

"Don't just prepare. Link your preparation with purpose, precision, and power."

With belief in your journey,

- **Tansukh Paliwal**

Founder of Linking Laws

© All rights including copyright reserved with the publisher.

Disclaimer

No part of the present book may be reproduced re-casted by any person in any manner whatsoever or translated in any other language without written permission of publishers or Author(s). All efforts have been made to avoid any error or mistakes as to contents but this book may be subject to any un-intentional error/omission etc.

Edition : 2026

www.LinkingLaws.com

Sample Preview

INDEX		
Sr. No.	**Subjects**	**Page No.**
Part – I **Prelims MCQs**		
1.	भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (ICA)	1-76
2.	संपत्ति-अंतरण अधिनियम, 1882 (TPA)	77-146
3.	भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (IPA)	147-164
Part – II **Mains Questions Solved**		
4.	भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (ICA)	165-281
5.	संपत्ति-अंतरण अधिनियम, 1882 (TPA)	282-331
6.	भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (IPA)	332-378
Part – III **Interview Questions Solved**		
7.	भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (ICA)	379-383
8.	संपत्ति-अंतरण अधिनियम, 1882 (TPA)	384-386
9.	भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (IPA)	387-388
10.	**Scan QR** for **Landmark Judgments** **(Year wise & Subject wise)**	389

Sample Preview

Part - I

Prelims MCQs

Sample Preview

प्रारम्भिक (1-2)

1. भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के अनुसार, स्वीकृति पूर्ण और बिना शर्त होनी चाहिए। यदि प्रस्ताव के प्रति प्रस्ताव प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया में कोई नया नियम शामिल हो जाए, तो इसका विधिक प्रभाव क्या होगा ?

(A) यह एक वैध स्वीकृति बन जाती है, और नया नियम केवल एक सुझाव के रूप में शामिल हो जाता है।
(B) यदि नया नियम कोई भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो यह एक वैध स्वीकृति के रूप में कार्य करता है ।
(C) यह एक प्रति- -प्रस्ताव का गठन करता है, जिससे मूल प्रस्ताव अस्वीकृत हो जाता है ।
(D) यह मूल प्रस्ताव को तब तक के लिए स्थगित कर देता है जब तक कि प्रस्तावक द्वारा नया नियम स्वीकृत या अस्वीकृत नहीं कर दिया जाता

[AIBE XX – 2025]

Ans[C]
लिंकिंग प्रावधान:-
- यह सिद्धांत भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 7(1) के तहत एक मौलिक आवश्यकता है, जिसमें कहा गया है कि स्वीकृति "पूर्ण और बिना शर्त" होनी चाहिए।

स्पष्टीकरण: -
- भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 7 एक वैध संविदा बनाने के लिए स्वीकृति को पूर्ण और बिना शर्त होना अनिवार्य करती है। यदि प्रस्ताव प्राप्तकर्ता (offeree) किसी प्रस्ताव के जवाब में कोई नया नियम या मौजूदा शर्तों को संशोधित करता है, तो वह मूल प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर रहा है, बल्कि एक "प्रति-प्रस्ताव" (counter-proposal) कर रहा है। यह प्रति-प्रस्ताव कानूनी रूप से मूल प्रस्ताव को शून्य या अस्वीकृत कर देता है। मूल प्रस्तावक अब अपने प्रारंभिक प्रस्ताव से बाध्य नहीं होता है, और एक संविदा तभी बनता है जब मूल प्रस्तावक नए प्रति-प्रस्ताव को स्वीकार करता है।

2. सामान्य प्रस्ताव के मामले में, यदि प्रस्तावक द्वारा आवश्यक न हो तो प्रतिग्रहण की सूचना देने की कोई आवश्यकता नहीं है। निम्नलिखित में से किस मामले में यह निर्णय लिया गया है:-

(A) भगवान दास बनाम गिरधारी लाल
(B) वीक्स बनाम टायबाल्ड
(C) रामजी दयावाला एंड संस बनाम निवेश आयात
(D) कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी

[MPCJ 2022]

Ans. [D]
लिंकिंग प्रावधान- धारा 2(ए) भारतीय संविदा अधिनियम।
स्पष्टीकरण– एक सामान्य प्रस्ताव एक ऐसा प्रस्ताव है जो बड़े पैमाने पर दुनिया के लिए किया जाता है और जो कोई भी प्रस्ताव की शर्तों को पूरा करता है, उसे प्रस्ताव स्वीकार कर लिया माना जाता है। सामान्य प्रस्ताव की उत्पत्ति कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी के ऐतिहासिक मामले से हुई।
निर्णीत विधि- कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी मामले में, पीठ ने कहा कि सामान्य प्रस्तावों के मामलों में, प्रतिग्रहण के संचार की कोई आवश्यकता नहीं है, जो कोई भी संविदा की शर्तों को पूरा करता है, उसके बारे में कहा जाता है कि उसने अपनी स्वीकृति की संसूचना दी है।

3. एक समाचार-पत्र में निविदाएँ आमंत्रित करने वाला विज्ञापन है:

(1) प्रस्ताव
(2) वार्ता के लिए आमंत्रण
(3) वचन
(4) प्रस्ताव के लिए आमंत्रण

[RJS 2021]

Ans. (4)
लिंकिंग प्रावधान-
1. **धारा 2(क) -** प्रस्थापना।
2. **धारा 2(ख) -** प्रतिग्रहण।
3. **धारा 7 -** प्रतिग्रहण आत्यंतिक व अविशेषित होना चाहिए ।

स्पष्टीकरण - प्रस्ताव - एक व्यक्ति किसी बात को करने या करने से प्रविरत रहने की अपनी रजामंदी किसी अन्य को इस दृष्टि से संज्ञापित करता है की वह उस अन्य से अनुमति प्राप्त करे, तब वह प्रस्थापना करता है कहा जायेगा तथा जब ऐसी प्रस्थापना पर अनुमति बिना किसी शर्त के प्राप्त करता है तब वह प्रस्थापना प्रतिग्रहित हो जाती है तथा वचन बनती है। उपरोक्त प्रश्न में समाचार पत्र कि निविदाओं के आमन्त्रण पर, अन्य पक्ष से कार्य करने का प्रस्ताव आयेगा जो निविदा आमंत्रणकर्ता द्वारा प्रतिग्रहित होगा अर्थात यह प्रस्ताव का आमंत्रण है।

4. निम्नलिखित में से कौन-सा विधिक कथन गलत है?

(a) एक करार, जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय है संविदा कहलाता है [(धारा 2 (a)].
(b) सभी करार संविदा हैं (धारा 10)
(c) एक प्रस्ताव जब स्वीकृत हो जाता है, वचन बन जाता है [धारा 2 (b)].
(d) हर वचन और ऐसे वचनों का हर समूह जो एक-दूसरे के लिए प्रतिफल है, करार कहलाता है[धारा 2 (e)]

[BJS 2023]

Ans [a]
लिंकिंग प्रावधान- धारा 2(ज) L/w धारा 2(क), 2(ख), 2(ङ), 10 ICA।
स्पष्टीकरण- धारा 2(ज) के अनुसार, विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार एक संविदा है।
एक वैध संविदा के आवश्यक तत्व-
1) प्रस्थापना और प्रतिग्रहण।
2) पक्षकारों को संविदा करने के लिए सक्षम होना चाहिए।
3) विधिपूर्ण प्रतिफल और विधिपूर्ण उद्देश्य ।
4) पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति।
5) विधिक सम्बन्ध सृजन करने का आशय।
6) संविदा को अभिव्यक्तत: शून्य घोषित नहीं किया जाना चाहिए।

5. हर वचन और वचनों के हर समूह, जो एक-दूसरे के लिए प्रतिफल है, हैं

(a) संविदा
(b) करार
(c) प्रस्ताव
(d) स्वीकृति

[BJS 2023]

Ans [b]
लिंकिंग प्रावधान- धारा 2(ङ) L/w धारा 2(ख), 2(घ) ICA।
स्पष्टीकरण- धारा 2(ङ) "करार" को परिभाषित करता है। यह प्रावधान करती है कि हर एक वचन और ऐसे वचनों का हर एक संवर्ग जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो, करार है।

6. प्रतिफल के विषय में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?

(a) वह वचनदाता की इच्छा पर दिया जाना चाहिए
(b) वह भूतकालिक भी हो सकता है।
(c) उसका वचन के लिए पर्याप्त होना आवश्यक नहीं
(d) उसके लिये अपरिचित व्यक्ति वाद नहीं ला सकता है।

[UP PCS(J) 2012]

Ans. [d]
लिंकिंग प्रावधान:- धारा2(d) 25

Sample Preview

स्पष्टीकरण:- इसका मतलब है कि कोई भी वचन हमेशा वचन करने वाले की इच्छा से शुरू किया जाता है और उसे वचन करने वाले द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पूरा किया जा सकता है जो विचार के लिए अजनबी है। यह भारतीय कानून में विचार की निजता के सिद्धांत की अनुपस्थिति को स्पष्ट करता है।

7. विधि द्वारा प्रवर्तित न किए जा सकने वाले संविदा को ---------- के तहत शून्य कहा जाता है।

(A) धारा 2 (घ)
(B) धारा 2 (ङ)
(C) धारा 2 (च)
(D) धारा 2 (छ)

[AIBE XIX – 2024]

Ans. (D)
लिंकिंग प्रावधान – धारा 2(छ)
1. **धारा 2(झ)** – शून्यकरणीय संविदा।
2. **धारा 24-30** – शून्य करार।

स्पष्टीकरण:- भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 2(छ) के अनुसार, जो करार विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, वह शून्य है। इसका मतलब यह है कि करार को ऐसे माना जाता है जैसे कि यह कभी अस्तित्व में ही नहीं था, और कोई भी पक्ष इसकी शर्तों से बाध्य नहीं है।

8. एक वैध अनुबंध में, निम्नलिखित में से क्या पहले आता है?

(A) प्रवर्तनीयता
(B) स्वीकृति
(C) वादा
(D) प्रस्ताव

[GJS, 2025]

Ans. [D]
लिंकिंग प्रावधान :- धारा 2 (ए), 2 (बी), 2 (ई), 2 (एच) आईसीए।
स्पष्टीकरण -
- **धारा 2 (ए)** प्रस्ताव को परिभाषित करती है।
- **धारा 2 (बी)** स्वीकृति और वादे को परिभाषित करती है।
- **धारा 2 (ई)** समझौते को परिभाषित करती है।
- **धारा 2 (एच)** अनुबंध को परिभाषित करती है।

अनुबंध [sec.2(h)]= प्रस्ताव [sec.2(a)] + स्वीकृति [sec.2(b)] + वादा [sec.2(b), 2(c)] + विचार [sec.2(d)] + समझौता [sec.2(e)] I

9. प्रवर्तनीयता के अनुसार, अनुबंधों को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है

(A) वैध अनुबंध।
(B) शून्य अनुबंध।
(C) शून्यकरणीय अनुबंध।
(D) उपरोक्त सभी

[WBJS, 2021]

Ans. [D]
लिंकिंग प्रावधान:
1. **धारा 2 (g) ICA -** शून्य समझौता
2. **धारा 2 (h ICA) –** अनुबंध (इक़रारनामा करना)
3. **धारा 2 (i) ICA -** शून्यकरणीय अनुबंध

स्पष्टीकरण : एक अनुबंध एक कानूनी रूप से लागू करने योग्य समझौता है, जो 2 या अधिक पक्षों के बीच आपसी दायित्वों का निर्माण करता है।

10. एक समझौते में कम से कम पारस्परिक वादे होते हैं

(A) चार पार्टियां
(B) छह पार्टियां
(C) तीन पार्टियां
(D) दो पार्टियां

[WBJS, 2021]

Ans. [D]
लिंकिंग प्रावधान: धारा 2(f)- पारस्परिक वादे
स्पष्टीकरण : एक पारस्परिक वादा 2 या अधिक पक्षों के बीच कानूनी रूप से लागू करने योग्य समझौता है जिसमें प्रमुख आवश्यक तत्व शामिल हैं

11. एक अनुबंध जिसमें अनुबंध की शर्तों के तहत, किसी भी पक्ष द्वारा कुछ भी नहीं किया जाना बाकी है, उसे किस रूप में जाना जाता है?

(A) निष्पादित अनुबंध
(B) निष्पादन अनुबंध
(C) एकतरफा अनुबंध
(D) उपरोक्त में से कोई नहीं

[WBJS, 2021]

Ans. [A]
स्पष्टीकरण : यह एक अनुबंध को परिभाषित करता है जहां प्रत्येक पक्ष द्वारा सभी कर्तव्यों और दायित्वों को पूरा किया जाता है।

12. किसी व्यक्ति की हत्या का समझौता

(A) कानून द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है।
(B) कानून में मान्य है।
(C) विचार के अभाव में अमान्य है।
(D) कोई आम सहमति नहीं है।

[WBJS, 2021]

Ans. [A]
लिंकिंग प्रावधान:
1. **धारा 23 ICA - कौन से विचार और उद्देश्य वैध हैं, और क्या नहीं।**
2. **धारा 24: - समझौते अमान्य हैं, यदि विचार और उद्देश्य आंशिक रूप से गैरकानूनी हैं।**

स्पष्टीकरण : इसमें कहा गया है कि एक समझौता जिसका उद्देश्य या प्रतिफल परिभाषित रूप से गैरकानूनी है, उसे शून्य माना जाता है, जिसका अर्थ है, इसने कोई अधिकार या बाध्यता नहीं बनाई है।

13 भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की किस धारा में प्रतिफल को परिभाषित किया गया है?

(A) धारा. 2 (b)
(B) धारा. 2 (d)
(C) धारा. 2 (c)
(D) धारा. 2 (f)

[WBJS, 2017]

Ans. [B]
लिंकिंग प्रावधान - धारा 2(d) of ICA 1872.
स्पष्टीकरण - प्रतिफल को ICA 1872 की धारा 2(d) के तहत परिभाषित किया गया है।

14. एक प्रस्ताव दिया जा सकता है

(A) एक विशेष व्यक्ति
(B) व्यक्ति का विशेष वर्ग
(C) बड़े पैमाने पर दुनिया
(D) उपरोक्त सभी

[WBJS, 2017]

Ans. [D]
लिंकिंग प्रावधान - कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी
स्पष्टीकरण - एक प्रस्ताव किसी विशेष पर्सो, व्यक्ति के एक विशेष वर्ग या बड़े पैमाने पर दुनिया को दिया जा सकता है।

15. कीमतों की एक सूची एक है

Sample Preview

Part - II

Mains Questions Solved

Sample Preview

www.LinkingLaws.com

भारतीय संविदा अधिनियम, 1872

Previous Years' Questions of Mains Examinations

प्रारम्भिक (1-2)

1. "सभी अनुबंध समझौते हैं लेकिन सभी समझौते अनुबंध नहीं हैं।" चर्चा करना।
"All contracts are agreements but all agreements are not contracts." Discuss.

[DJS 2008]

Or

सभी अनुबंध करार होते हैं लेकिन सभी करार अनुबंध नहीं होते हैं, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए
Write short note on All contracts are agreements but all agreements are not contracts.

[UP PCS(J) 1997]

Ans. "सभी अनुबंध (Contracts) समझौते (Agreements) हैं, परंतु सभी समझौते अनुबंध नहीं होते" —

यह सिद्धांत Indian Contract Act, 1872 के अंतर्गत समझौते और अनुबंध के संबंध को स्पष्ट करता है। धारा 2(e) के अनुसार, प्रत्येक वचन और वचनों का समूह जो परस्पर प्रतिफल (consideration) का निर्माण करता है, समझौता कहलाता है। धारा 2(h) के अनुसार, वह समझौता जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय (enforceable by law) हो, अनुबंध कहलाता है। अतः विधिक प्रवर्तनीयता ही समझौते और अनुबंध के बीच मूल अंतर है।

प्रत्येक अनुबंध पहले एक समझौता होता है, क्योंकि अनुबंध के अस्तित्व के लिए प्रस्ताव, स्वीकृति और वचन आवश्यक हैं। जब धारा 10 की आवश्यक शर्तें—पक्षकारों की क्षमता, स्वतंत्र सहमति, वैध प्रतिफल, वैध उद्देश्य तथा ऐसा समझौता जो शून्य घोषित न हो—पूर्ण हो जाती हैं, तब वह समझौता अनुबंध बन जाता है। **उदाहरणार्थ,** यदि 'क' अपना घर 'ख' को ₹10 लाख में बेचने का प्रस्ताव देता है और 'ख' उसे स्वीकार कर लेता है तथा सभी कानूनी शर्तें पूर्ण हैं, तो वह समझौता वैध अनुबंध होगा।

किन्तु सभी समझौते अनुबंध नहीं होते, क्योंकि अनेक समझौते विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होते। सामाजिक या पारिवारिक व्यवस्थाएँ, जैसे साथ में भोजन करने का वचन, विधिक दायित्व उत्पन्न नहीं करतीं। बिना प्रतिफल के समझौता सामान्यतः धारा 25 के अंतर्गत शून्य होता है (कुछ अपवादों को छोड़कर)। अवैध उद्देश्य या प्रतिफल वाला समझौता धारा 23 के अंतर्गत शून्य है।

Mohori Bibee v. Dharmodas Ghose

अल्पवयस्क के साथ किया गया समझौता प्रारम्भ से ही शून्य है, अतः ऐसे समझौते अनुबंध का रूप नहीं लेते।

उच्चतम न्यायालय ने भी यह स्पष्ट किया है कि केवल वही समझौता अनुबंध माना जाएगा जो विधि के अनुरूप और प्रवर्तनीय हो।

Central Inland Water Transport Corporation v. Brojo Nath Ganguly

लोकनीति के प्रतिकूल अथवा अन्यायपूर्ण शर्तों वाला समझौता शून्य होगा। इससे यह सिद्ध होता है कि प्रत्येक समझौता अनुबंध नहीं बनता, जब तक वह विधिक कसौटी पर खरा न उतरे। अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि "समझौता" व्यापक अवधारणा है और "अनुबंध" उसका विशेष रूप है। प्रत्येक अनुबंध समझौते से उत्पन्न होता है, परंतु केवल वही समझौता अनुबंध बनता है जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो। यह कथन भारतीय अनुबंध विधि का मूलभूत सिद्धांत है।

2. एक अनुबंध के आवश्यक तत्व क्या हैं? शून्य और अवैध करारों के बीच अंतर करें.
What are the essential elements of a contract? Distinguish between void and illegal agreements.

[PJS 1995(II), BJS 1977]

or

एक वैध अनुबंध के आवश्यक तत्व क्या हैं?
What are the essentials of a valid contract?

[PJS 2007]

or

वैध अनुबंध के आवश्यक तत्वों की गणना कीजिए। शून्य और शून्यकरणीय समझौते में क्या अंतर है?
Enumerate the essentials of a valid contract. What is the distinction between void and voidable agreement?

[PJS 2003]

or

भारतीय अनुबंध अधिनियम के तहत एक वैध अनुबंध की अनिवार्यताएं क्या हैं?
What are the essentials of a valid contract under Indian Contract Act?

[DJS 1999]

Ans . वैध अनुबंध के आवश्यक तत्व Indian Contract Act, 1872 की **धारा 10** के अंतर्गत निर्धारित हैं। किसी समझौते को अनुबंध का रूप लेने के लिए निम्नलिखित आवश्यक तत्वों का होना अनिवार्य है—

1. **प्रस्ताव (Offer) और स्वीकृति (Acceptance) –** एक पक्ष द्वारा वैध प्रस्ताव तथा दूसरे पक्ष द्वारा उसका पूर्ण और बिना शर्त स्वीकार किया जाना आवश्यक है। प्रस्ताव और स्वीकृति से वचन (Promise) का निर्माण होता है।
2. **विधिक संबंध स्थापित करने का आशय (Intention to create legal relations) –** पक्षकारों का यह उद्देश्य होना चाहिए कि उनका समझौता विधिक रूप से बाध्यकारी हो। केवल सामाजिक या पारिवारिक व्यवस्थाएँ अनुबंध नहीं बनतीं।

Sample Preview

www.LinkingLaws.com

प्रारम्भिक (1-2)

3. **वैध प्रतिफल (Lawful Consideration)** – **धारा 2(द)** के अनुसार प्रतिफल आवश्यक है। प्रतिफल वास्तविक तथा विधि-सम्मत होना चाहिए; अवैध या अनैतिक प्रतिफल अनुबंध को शून्य बना देता है **(धारा 23)।**
4. **पक्षकारों की क्षमता (Capacity of Parties) –** धारा 11 के अनुसार पक्षकार वयस्क, स्वस्थ मस्तिष्क के तथा विधि द्वारा अयोग्य घोषित न हों। अल्पवयस्क के साथ किया गया समझौता शून्य होता है।
5. **स्वतंत्र सहमति (Free Consent) – धारा 13 और 14** के अनुसार सहमति बल, अनुचित प्रभाव, छल, मिथ्या प्रतिपादन या भूल से प्राप्त नहीं होनी चाहिए।
6. **वैध उद्देश्य (Lawful Object)** – अनुबंध का उद्देश्य विधि द्वारा निषिद्ध, अनैतिक या लोकनीति के विरुद्ध नहीं होना चाहिए (**धारा 23)।**
7. **ऐसा समझौता जो विधि द्वारा शून्य घोषित न हो** – जैसे व्यापार-निषेध, विवाह-निषेध या सट्टा समझौते आदि (**धारा 26 से 30)।**

यदि उपर्युक्त सभी तत्व विद्यमान हों, तो समझौता वैध एवं प्रवर्तनीय अनुबंध बन जाता है। किसी एक भी आवश्यक तत्व के अभाव में अनुबंध अमान्य या शून्य हो सकता है।

शून्य और अवैध करारों के बीच अंतर

आधार	शून्य समझौता	अवैध समझौता
अर्थ	वह समझौता जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है (धारा 2(ग), Indian Contract Act, 1872)।	वह समझौता जो विधि द्वारा निषिद्ध हो या लोकनीति के विरुद्ध हो।
स्वरूप	केवल अप्रवर्तनीय, परन्तु आवश्यक नहीं कि वह गैर-कानूनी हो।	विधि द्वारा निषिद्ध एवं गैर-कानूनी।
कानूनी प्रभाव	प्रारम्भ से ही अमान्य, किन्तु इसमें दण्ड का तत्व नहीं होता।	प्रारम्भ से ही शून्य तथा अवैधता से दूषित।
परिणामी (Collateral) लेन-देन पर प्रभाव	सहायक/संबद्ध लेन-देन वैध रहते हैं।	सहायक/संबद्ध लेन-देन भी शून्य हो जाते हैं।
दण्डात्मक परिणाम	सामान्यतः कोई दण्ड नहीं।	दण्डनीय परिणाम हो सकते हैं।
परिधि	प्रत्येक अवैध समझौता शून्य होता है, परन्तु प्रत्येक शून्य समझौता अवैध नहीं होता।	प्रत्येक अवैध समझौता शून्य होता है।
उदाहरण	सट्टा (Wagering) समझौता — धारा 30 के अंतर्गत शून्य।	चोरी या अपराध करने का समझौता — पूर्णतः अवैध।
प्रमुख वाद	**Gherulal Parakh v. Mahadeodas Maiya** — सट्टा समझौता शून्य है, पर अवैध नहीं।	**Pearce v. Brooks** — अनैतिक उद्देश्य वाला समझौता अवैध घोषित।

3. 'एक अनुबंध बनाने के लिए कानूनी बाध्यता में प्रवेश करने के लिए पार्टियों का एक सामान्य इरादा होना चाहिए।' चर्चा करना।
'To create a contract there must be a common intention of the parties to enter into legal obligation.' Discuss.

[BJS 1977]

ANS. "किसी अनुबंध के निर्माण हेतु पक्षकारों का विधिक दायित्व में बंधने का समान आशय (Common Intention to Create Legal Obligation) होना आवश्यक है" — यह सिद्धांत अनुबंध विधि का मूल तत्व है।

Indian Contract Act, 1872 की **धारा 2(ह)** के अनुसार, "वह समझौता जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो, अनुबंध है।" **धारा 10** यह निर्धारित करती है कि वे सभी समझौते अनुबंध हैं जो स्वतंत्र सहमति से, सक्षम पक्षकारों द्वारा, वैध प्रतिफल एवं वैध उद्देश्य के साथ किए गए हों और जिन्हें शून्य घोषित न किया गया हो। चूँकि अनुबंध का आधार "विधिक प्रवर्तनीयता" है, इसलिए यह आवश्यक है कि पक्षकारों का उद्देश्य विधिक संबंध स्थापित करना हो।

केवल प्रस्ताव **(धारा 2(क))** और स्वीकृति **(धारा 2(ख))** से अनुबंध पूर्ण नहीं होता, जब तक कि दोनों पक्षों का समान आशय यह न हो कि वे विधिक रूप से बाध्य होंगे।

सामाजिक एवं पारिवारिक समझौतों में सामान्यतः विधिक आशय का अभाव माना जाता है। इस सिद्धांत को **Balfour v. Balfour** में प्रतिपादित किया गया। इस वाद में पति द्वारा पत्नी को भरण-पोषण देने का वचन दिया गया था। न्यायालय ने कहा कि यह घरेलू व्यवस्था थी, जिसमें विधिक दायित्व उत्पन्न करने का आशय नहीं था, अतः यह अनुबंध नहीं है।

किन्तु परिस्थितियों के आधार पर यह अनुमान बदला जा सकता है। **Merritt v. Merritt** में पति-पत्नी अलग रह रहे थे और उन्होंने लिखित समझौता किया था। न्यायालय ने माना कि यहाँ विधिक संबंध स्थापित करने का स्पष्ट आशय था, इसलिए यह वैध अनुबंध है।

व्यावसायिक समझौतों में इसके विपरीत अनुमान लगाया जाता है कि पक्षकार विधिक रूप से बाध्य होना चाहते हैं। **Carlill v. Carbolic Smoke Ball Co.** में विज्ञापन के माध्यम से पुरस्कार देने का प्रस्ताव किया गया और कंपनी ने अपनी गंभीरता दर्शाने हेतु धनराशि जमा की। न्यायालय ने माना कि यहाँ विधिक आशय विद्यमान था, अतः यह बाध्यकारी अनुबंध है।

अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि अनुबंध के निर्माण हेतु केवल प्रस्ताव, स्वीकृति और प्रतिफल पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि यह भी आवश्यक है कि पक्षकारों का समान आशय विधिक दायित्व में बंधने का हो। यदि ऐसा आशय नहीं है, तो समझौता अनुबंध नहीं बनेगा। यह सिद्धांत **धारा 2(ह) और धारा 10** के अंतर्गत अनुबंध की मूल शर्त है।

4. भारत में अनुबंध करने में 'प्रस्ताव' और 'स्वीकृति' से संबंधित कानून का विश्लेषण करें।
Analyse the law relating to 'offer' and 'acceptance' in the making of a contract in India.

[BJS 1977]

Sample Preview

www.LinkingLaws.com

Transfer of Property Act, 1882
Previous Years' Questions of Mains Examinations

अध्याय - I: प्रारम्भिक (1-4)

1. क्या खड़े पेड़ों का हस्तांतरण रुपये मूल्य के 100 या ऊपर बिना पंजीकरण के किया जा सकता है?
Whether transfer of standing trees of value Rs. 100 or upwards can be done without registration?

[PJS 2006]

Ans. धारा 3, Transfer of Property Act, 1882 के अनुसार "**अचल संपत्ति**" में *Standing Timber, Growing Crops या Grass* शामिल नहीं हैं। इसी प्रकार धारा 2(6), Registration Act, 1908 में भी Standing Timber को अचल संपत्ति की परिभाषा से बाहर रखा गया है।
अतः मुख्य परीक्षण यह है कि—
क्या पेड़ों को काटकर हटाने (cut and remove) के उद्देश्य से बेचा गया है, या भूमि में किसी हित (interest in land) के साथ हस्तांतरित किया गया है।
उच्चतम न्यायालय ने **Shantabai v. State of Bombay** में इस विषय पर निर्णय दिया। न्यायालय ने कहा कि यदि केवल निश्चित अवधि में पेड़ों को काटने और हटाने का अधिकार दिया गया है, तो वह *Standing Timber* है, जो चल संपत्ति मानी जाएगी। ऐसी स्थिति में ₹100 से अधिक मूल्य होने पर भी पंजीकरण आवश्यक नहीं है।
परंतु यदि लेन-देन से भूमि में कोई अधिकार या लाभ (benefit arising out of land) उत्पन्न होता है, जैसे दीर्घकालीन अधिकार देकर भूमि से लाभ उठाने का अधिकार देना, तो वह अचल संपत्ति का हस्तांतरण माना जाएगा और पंजीकरण अनिवार्य होगा।
इसी प्रकार **State of Orissa v. Titaghur Paper Mills Co. Ltd.** में भी सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया कि जहाँ पेड़ों को काटकर हटाने के लिए बेचा जाता है, वहाँ विषय-वस्तु चल संपत्ति है और केवल मूल्य ₹100 से अधिक होने के कारण पंजीकरण आवश्यक नहीं होगा।
निष्कर्ष
- यदि पेड़ों को काटकर हटाने के लिए बेचा गया है (Standing Timber) → यह चल संपत्ति है → पंजीकरण आवश्यक नहीं।
- यदि लेन-देन से भूमि में कोई हित या लाभ उत्पन्न होता है → यह अचल संपत्ति का हस्तांतरण है → धारा 17, Registration Act, 1908 के अंतर्गत ₹100 या अधिक मूल्य होने पर पंजीकरण आवश्यक होगा।

अतः ₹100 या उससे अधिक मूल्य के खड़े पेड़ों का हस्तांतरण बिना पंजीकरण के किया जा सकता है, बशर्ते कि वह केवल *Standing Timber* का हस्तांतरण हो और भूमि में कोई अधिकार सृजित न करता हो।

2. भूमि से जुड़ी बातों पर टिप्पणी लिखिए
Write note on things attached to the earth.

[BJS 1986]

Ans. **"पृथ्वी से संलग्न वस्तुएँ" (Things Attached to the Earth)** का अर्थ मुख्यतः यह निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि कोई संपत्ति चल (Movable) है या अचल (Immovable)।
धारा 3, Transfer of Property Act, 1882 के अनुसार "पृथ्वी से संलग्न" में निम्न शामिल हैं—
1. **जो पृथ्वी में जड़ित (rooted) हों** – जैसे पेड़, झाड़ियाँ।
2. **जो पृथ्वी में गड़ी/धंसी (embedded) हों** – जैसे भवन, दीवारें।
3. **जो ऐसी गड़ी हुई वस्तु से स्थायी लाभ के लिए संलग्न हों** – जैसे दरवाजे, खिड़कियाँ, स्थायी रूप से लगाया गया मशीनरी।

इस परिभाषा का महत्व इसलिए है क्योंकि धारा 17, Registration Act, 1908 के अनुसार ₹100 या उससे अधिक मूल्य की अचल संपत्ति के हस्तांतरण के लिए पंजीकरण आवश्यक है। अतः यह तय करना कि कोई वस्तु "पृथ्वी से संलग्न" है या नहीं, उसके पंजीकरण और हस्तांतरण पर प्रभाव डालता है।
उच्चतम न्यायालय ने **Shantabai v. State of Bombay** में स्पष्ट किया कि केवल पृथ्वी से जुड़ा होना पर्याप्त नहीं है। यदि पेड़ों को तुरंत काटने के उद्देश्य से बेचा गया हो, तो वे "Standing Timber" माने जाएंगे और चल संपत्ति होंगे।
इसी प्रकार **Sirpur Paper Mills Ltd. v. Collector of Central Excise** में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह देखने के लिए कि कोई वस्तु अचल संपत्ति है या नहीं, दो बातों पर ध्यान देना होगा—
(1) संलग्नता की प्रकृति और सीमा (Degree of Annexation),
(2) संलग्न करने का उद्देश्य (Object/Intention of Annexation)।

यदि संलग्नता स्थायी है और संपत्ति के स्थायी उपयोग या लाभ के लिए है, तो वह अचल संपत्ति मानी जाएगी। यदि संलग्नता अस्थायी है और वस्तु को हटाया जा सकता है, तो वह चल संपत्ति रहेगी।
इस प्रकार, "पृथ्वी से संलग्न वस्तुएँ" में भवन, दीवारें, स्थायी संरचनाएँ और स्थायी रूप से लगी मशीनरी आती हैं, परंतु अंतिम निर्णय संलग्नता की प्रकृति और उद्देश्य पर निर्भर करता है।

3. वाद-योग्य दावे और मुकदमा करने के अधिकार पर संक्षिप्त नोट लिखें।
Write short note on actionable claim and mere right to sue.

[BJS 1987]

Or

अनुयोज्य दावे पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।
Write short note on Actionable Claim.

[M.P. CJ 2006, RJS, 2024]

Ans. (1) वाद योग्य दावा (Actionable Claim)
धारा 3, Transfer of Property Act, 1882 के अनुसार वाद योग्य दावा वह दावा है जो—
- किसी असुरक्षित ऋण (unsecured debt) से संबंधित हो, या
- किसी चल संपत्ति में हित से संबंधित हो जो दावेदार के कब्जे में न हो, और जिसे न्यायालय राहत देने योग्य मानता हो।

धारा 130 के अंतर्गत ऐसा दावा लिखित दस्तावेज द्वारा हस्तांतरित किया जा सकता है।

Sample Preview

www.LinkingLaws.com

Union of India v. Raman Iron Foundry में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुबंध भंग पर हर्जाने का दावा तब तक "ऋण" नहीं है जब तक वह न्यायालय द्वारा निश्चित न कर दिया जाए। अतः अनिर्धारित हर्जाने का दावा वाद योग्य दावा नहीं है।

इसी प्रकार **Khardah Company Ltd. v. Raymon & Co. (India) Pvt. Ltd.** में कहा गया कि निश्चित और देय ऋण वाद योग्य दावा है और हस्तांतरणीय है।

(2) केवल वाद करने का अधिकार (Mere Right to Sue)

धारा 6(e), Transfer of Property Act, 1882 के अनुसार केवल वाद करने का अधिकार हस्तांतरित नहीं किया जा सकता।

यह केवल हर्जाने की मांग करने का व्यक्तिगत अधिकार है, जो संपत्ति में कोई हित उत्पन्न नहीं करता।

Venkataraman & Co. v. State of Madras में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मुकदमा दायर करने का मात्र अधिकार हस्तांतरणीय नहीं है।

4. Distinguish between Actual and Constructive Notice.
वास्तविक और प्रलक्षित सूचना के बीच अंतर

[BJS 1991]

Ans. धारा 3, सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882

आधार	वास्तविक सूचना	अनुमानित सूचना
अर्थ	किसी तथ्य की प्रत्यक्ष जानकारी	विधि द्वारा मानी गई जानकारी
जानकारी का स्रोत	सीधे सूचना या व्यक्तिगत ज्ञान	पंजीकरण, कब्जा, जाँच से परहेज, घोर लापरवाही
विधिक आधार	धारा 3, TPA का प्रथम भाग	धारा 3 की व्याख्या I एवं II
प्रकृति	तथ्य का प्रश्न	विधि का अनुमान
प्रमाण	वास्तविक जानकारी सिद्ध करनी होती है	वास्तविक ज्ञान सिद्ध करना आवश्यक नहीं
उदाहरण	पूर्व विक्रय अनुबंध की जानकारी होना	पंजीकृत दस्तावेज स्वतः सूचना माना जाएगा
सर्वोच्च न्यायालय निर्णय	R.K. Mohammed Ubaidullah v. Hajee C. Abdul Wahab	Ram Niwas v. Bano

5. अचल संपत्ति क्या होती है?
What is immovable property?

[RJS 1979, BJS 2006]

Or

अचल संपत्ति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
Write short note on Immovable Property.

[M.P. CJ 2006, UP PCS(J) 2018]

Ans. अचल संपत्ति (सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय सहित)

भारतीय विधि में "अचल संपत्ति" का अर्थ विभिन्न अधिनियमों और न्यायिक व्याख्याओं से निर्धारित होता है। धारा 3, Transfer of Property Act, 1882 के अनुसार अचल संपत्ति में स्टैंडिंग टिम्बर, उगती फसलें और घास शामिल नहीं हैं। धारा 3(26), General Clauses Act, 1897 के अनुसार अचल संपत्ति में भूमि, भूमि से उत्पन्न लाभ तथा पृथ्वी से संलग्न या स्थायी रूप से जुड़ी वस्तुएँ आती हैं।

इसमें भूमि, भवन, मार्ग अधिकार, मत्स्य अधिकार, भूमि से प्राप्त किराया एवं लाभ तथा पृथ्वी में गड़ी या स्थायी रूप से जुड़ी वस्तुएँ सम्मिलित हैं। केवल भौतिक रूप से जुड़ना पर्याप्त नहीं है; संलग्नता की प्रकृति और उद्देश्य भी महत्वपूर्ण है।

Anand Behera v. State of Orissa में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मत्स्य पकड़ने का अधिकार भूमि से उत्पन्न लाभ है और अचल संपत्ति है। **Shantabai v. State of Bombay** में कहा गया कि यदि पेड़ों को तुरंत काटने के उद्देश्य से बेचा जाए तो वे अचल संपत्ति नहीं हैं। **Sirpur Paper Mills Ltd. v. Collector of Central Excise** में निर्णय दिया गया कि स्थायी उपयोग हेतु भूमि में गड़ी मशीनरी अचल संपत्ति मानी जाएगी।

अतः अचल संपत्ति में भूमि, भूमि से उत्पन्न लाभ तथा पृथ्वी से स्थायी रूप से संलग्न वस्तुएँ शामिल हैं, और इसका निर्धारण संलग्नता की प्रकृति एवं उद्देश्य के आधार पर किया जाता है।

6. अनुप्रमाणन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।
Write short note on Attestation.

[M.P. CJ 2006]

Ans. प्रमाणन (Attestation) – सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय सहित

"प्रमाणन" का अर्थ है किसी दस्तावेज़ के निष्पादन (execution) को देखना और गवाह के रूप में हस्ताक्षर करना। धारा 3, Transfer of Property Act, 1882 के अनुसार दस्तावेज़ तब प्रमाणित (attested) माना जाएगा जब कम से कम दो गवाहों ने निष्पादक को हस्ताक्षर करते देखा हो या उससे हस्ताक्षर की व्यक्तिगत स्वीकृति प्राप्त की हो और प्रत्येक गवाह ने उसके समक्ष हस्ताक्षर किए हों। गिरवी (धारा 59) और उपहार (धारा 123) जैसे मामलों में प्रमाणन अनिवार्य है।

Kartar Singh v. Surjan Singh में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि केवल हस्ताक्षर कर देना पर्याप्त नहीं है; गवाह का दस्तावेज़ को प्रमाणित करने का आशय (animus attestandi) होना आवश्यक है।

M.L. Abdul Jabbar Sahib v. H. Venkata Sastri & Sons में न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति लेखक (scribe) या पहचानकर्ता के रूप में हस्ताक्षर करता है, तो वह प्रमाणित गवाह नहीं माना जाएगा जब तक कि उसका उद्देश्य प्रमाणन न हो।

धारा 68, Indian Evidence Act, 1872 के अनुसार, जिस दस्तावेज़ का प्रमाणन विधि द्वारा आवश्यक है, उसे प्रमाणित करने हेतु कम से कम एक प्रमाणित गवाह का साक्ष्य देना आवश्यक है, यदि वह उपलब्ध हो।

अतः प्रमाणन के लिए आवश्यक है— (1) दस्तावेज़ का विधिवत निष्पादन, (2) गवाह की उपस्थिति या स्वीकृति, (3) कम से कम दो गवाहों के हस्ताक्षर, तथा (4) प्रमाणन का स्पष्ट आशय।

Sample Preview

www.LinkingLaws.com

Indian Partnership Act, 1932
Previous Years' Questions of Mains Examinations

अध्याय - I: प्रारम्भिक (1–3)

1. भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 की प्रवृत्ति, विस्तार एवं लागू होने की तिथि स्पष्ट कीजिए। क्या यह अधिनियम प्रतिगामी है?
Explain the extent and commencement of the Indian Partnership Act, 1932. Whether the Act applies retrospectively?

Ans. भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 का क्षेत्र (Extent) एवं प्रारंभ (Commencement)

I. क्षेत्र (Extent)

धारा 1 – संक्षिप्त शीर्षक, क्षेत्र और प्रारंभ

अधिनियम प्रारंभ में भारत के अधिकांश भागों पर लागू हुआ था।

- जम्मू-कश्मीर राज्य पर यह अधिनियम पहले लागू नहीं था।
- Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 के पश्चात यह अधिनियम पूरे भारत में लागू हो गया।

अतः वर्तमान में यह अधिनियम **सम्पूर्ण भारत** पर लागू है।

II. प्रारंभ (Commencement)

यह अधिनियम लागू हुआ:

➤ **1 अक्टूबर, 1932 से**

इस अधिनियम ने भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के अध्याय XI (धारा 239–266) को प्रतिस्थापित कर दिया, जो पूर्व में साझेदारी से संबंधित प्रावधान रखता था।

III. क्या यह अधिनियम पूर्वव्यापी (Retrospective) है?

सामान्य सिद्धांत

जब तक किसी अधिनियम में स्पष्ट रूप से यह न कहा जाए कि वह पूर्वव्यापी होगा, तब तक वह **भावी (Prospective)** माना जाता है।
भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो इसे पूर्वव्यापी बनाता हो।
अतः यह अधिनियम **1 अक्टूबर 1932 से आगे की परिस्थितियों पर लागू होता है।**

IV. सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण

Garikapati Veeraya v. N. Subbiah Choudhry

न्यायालय ने कहा—

- जो विधि मूल अधिकारों को प्रभावित करती है, वह सामान्यतः भावी प्रभाव से लागू होती है, जब तक कि विधायिका स्पष्ट रूप से अन्यथा न कहे।

Shreeram Finance Corporation v. Yasin Khan

न्यायालय ने कहा—

- साझेदारों के अधिकार एवं दायित्व उस समय लागू अधिनियम के अनुसार निर्धारित होंगे जब कारण उत्पन्न हुआ।

V. पूर्व विद्यमान साझेदारियाँ

अधिनियम के लागू होने से पहले जो साझेदारियाँ अस्तित्व में थीं, वे अवैध नहीं हुईं।
परंतु अधिनियम के लागू होने के बाद उत्पन्न अधिकार एवं दायित्व इस अधिनियम के अनुसार नियंत्रित होंगे।

VI. संशोधन की स्थिति

- 2019 के संशोधन के बाद यह अधिनियम पूरे भारत पर लागू है।

भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932—

- सम्पूर्ण भारत में लागू है।
- 1 अक्टूबर 1932 से प्रभावी हुआ।
- पूर्वव्यापी नहीं है, बल्कि भावी प्रभाव से लागू होता है।

सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि जब तक विधायिका स्पष्ट न करे, तब तक अधिनियमों को पूर्वव्यापी नहीं माना जाता।

2. धारा 4 के अंतर्गत फर्म, साझेदार, साझेदारी एवं फर्म नाम को परिभाषित कीजिए तथा साझेदारी और सह-स्वामित्व में अंतर स्पष्ट कीजिए।
Define the term "Firm", "Partner", "Partnership" and "Firm Name" under Section 4. Distinguish between partnership and co-ownership.

Ans. धारा 4 के अंतर्गत परिभाषाएँ: "साझेदारी वह संबंध है जो उन व्यक्तियों के बीच उत्पन्न होता है जिन्होंने व्यवसाय के लाभ को बाँटने के लिए सहमति की हो और जो व्यवसाय सभी या उनमें से कोई एक सभी के लिए चलाता हो।" ऐसे व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से 'साझेदार' (Partner) तथा सामूहिक रूप से 'फर्म' (Firm) कहा जाता है और जिस नाम से व्यवसाय चलाया जाता है उसे 'फर्म नाम' (Firm Name) कहते हैं।

I. परिभाषाएँ

1. साझेदारी (Partnership)

साझेदारी वह विधिक संबंध है जिसमें—

1. लाभ बाँटने की सहमति हो,
2. व्यवसाय हो,
3. और परस्पर अभिकरण (Mutual Agency) हो।

परस्पर अभिकरण साझेदारी की वास्तविक कसौटी है।

2. साझेदार (Partner): वह व्यक्ति जिसने अन्य व्यक्तियों के साथ साझेदारी का अनुबंध किया हो। प्रत्येक साझेदार अन्य साझेदारों का अभिकर्ता (Agent) भी होता है।

3. फर्म (Firm): सभी साझेदारों का सामूहिक नाम फर्म कहलाता है। फर्म का पृथक विधिक अस्तित्व नहीं होता।

4. फर्म नाम (Firm Name): जिस नाम से साझेदारी का व्यवसाय संचालित किया जाता है, वह फर्म नाम कहलाता है। यह केवल व्यापारिक नाम है।

Sample Preview

www.LinkingLaws.com

Part - III

Interview Questions Solved

1. एक करार क्या है?
Ans. एक करार एक स्वीकृत प्रस्ताव है।

2. एक संविदा क्या है?
Ans. एक करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय है, एक संविदा कहलाता है?

3. शून्य करार क्या है?
Ans. एक करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, शून्य कहलाता है।

4. शून्यकरणीय संविदा क्या है?
Ans. एक करार जो एक या अधिक पक्षकारों के विकल्प पर विधि द्वारा प्रवर्तनीय होता है, लेकिन अन्य पक्ष या पक्षकारों के विकल्प पर नहीं, एक शून्यकरणीय संविदा है।

5. एक शून्य संविदा क्या है?
Ans. एक संविदा जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय होना बंद हो जाता है, जब यह प्रवर्तनीय नहीं रह जाता है तो वह शून्य हो जाता है।

6. एक अवैध करार क्या है?
Ans. जिस करार का प्रयोजन या उद्देश्य अवैध होता है उसे अवैध करार कहते हैं और यह शून्य होता है। (धारा 23)

7. What is difference between a void agreement and an illegal agreement?
एक शून्य करार और एक अवैध करार के बीच क्या अंतर है?
Ans. एक शून्य करार हमेशा अमान्य नहीं होता है, लेकिन एक अवैध करार हमेशा शून्य होता है।

8. एक विनिर्दिष्ट प्रस्ताव क्या है?
Ans. एक विनिर्दिष्ट प्रस्ताव एक ऐसे प्रस्ताव को संदर्भित करता है जो किसी विशेष व्यक्ति या लोगों के समूह के लिए किया जाता है।

9. एक सामान्य प्रस्ताव क्या है?
Ans. एक सामान्य प्रस्ताव एक प्रस्ताव को संदर्भित करता है जो आम जनता के लिए किया जाता है, लेकिन संविदा केवल उस व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ होता है जो प्रस्ताव की शर्तों को पूरा करते हैं।

10. एक लड़का घर से भाग गया है, लड़के के पिता ने एक पर्चा बांटा जिसमें लड़के को ढूंढ़ने वाले को एक हजार रुपए का इनाम देने की घोषणा की गई। 'ए' ने लड़के को देखा और लड़के को रेलवे पुलिस को सौंप दिया और तार द्वारा लड़के के पिता को सूचित किया। क्या 'ए' इनाम का हकदार है?
Ans. सर, 'ए' इनाम का हकदार है। सामान्य प्रस्ताव में, स्वीकृति की सूचना देना आवश्यक नहीं है।

11. मान लीजिए 'ए' इनाम की घोषणा से अवगत नहीं है?
Ans. 'ए' इनाम का हकदार नहीं है (क्यों?) क्योंकि प्रस्ताव की जानकारी के बिना स्वीकृति मान्य नहीं हो सकती।

12. एक प्रति-प्रस्ताव क्या है?
Ans. When the person to whom the offer is made sends the offer for the same thing without knowing it.
जब जिस व्यक्ति से प्रस्ताव किया जाता है वह बिना जानकारी के उसी वस्तु के लिए प्रस्ताव भेजता है|

14. एक दुकानदार ने अपनी दुकान में बिक्री के लिए एक रेफ्रिजरेटर रखा है जिस पर कीमत लिखी हुई है। उस कीमत पर एक ग्राहक रेफ्रिजरेटर खरीदने के लिए तैयार हो जाता है लेकिन दुकानदार बेचने से मना कर देता है। क्या ग्राहक यहां संविदा भंग के लिए वाद ला सकता है?
Ans. सर, यहां कोई संविदा नहीं है और ग्राहक संविदा भंग के लिए वाद नहीं कर सकता क्योंकि कोई प्रस्ताव नहीं है। यह प्रस्ताव का आमंत्रण है। प्रस्ताव के आमंत्रण की स्थिति में आमंत्रण देने वाले व्यक्ति का आशय यह होता है कि जिस व्यक्ति को आमंत्रण दिया जाता है वह प्रस्ताव करे। प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद वचन बनाया गया है।

15. प्रस्ताव के लिए आमंत्रण का दूसरा उदाहरण दें?
Ans. वस्तुओं की मूल्य सूची, नीलामी, निविदा (निविदा) देना प्रस्ताव नहीं बल्कि प्रस्ताव का आमंत्रण है।

16. 'ए' को डाक या तार द्वारा एक पत्र दिया जाता है और पत्र या तार पर सही पता लिखा जाता है और पत्र को डाक में ठीक से डाला जाता है या डाकघर को दिया जाता है। लेकिन मेल या तार ऑपरेटर इसे प्राप्त नहीं करता है। क्या नियोक्ता स्वीकृति से बाध्य होगा?
Ans. हाँ सर, डाक या तार द्वारा प्राप्ति के मामले में, प्रस्तावक उसी समय स्वीकृति से बाध्य होता है जब पत्र डाक में डाला जाता है या तार डाकघर को दिया जाता है और प्राप्तकर्ता पत्र या तार प्राप्त करते समय बाध्य होते हैं। अंग्रेजी विधि में, प्रस्तावक और स्वीकारकर्ता दोनों उस समय बाध्य होते हैं जब पत्र डाक में डाला जाता है या डाक को तार दिया जाता है।

17. एक व्यक्ति नदी के एक छोर से प्रस्ताव करता है लेकिन एक हवाई जहाज की आवाज के कारण दूसरे छोर पर खड़ा व्यक्ति उसे सुन नहीं पाता है। क्या दोनों के बीच अनुबंध होगा?
Ans. सर नहीं, क्योंकि संसूचना स्वीकारकर्ता तक नहीं पहुंची । प्रस्ताव की जानकारी के बिना स्वीकृति नहीं हो सकती।

18. भगवान दास बनाम गिरधारी लाल एंड कंपनी 1966 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया है?

Sample Preview

www.LinkingLaws.com

LINKING PUBLICATION

is available at

www.LinkingLaws.com >> Linking Publication

Linking Charts

- Diglot Technical Words*
- Important Sections Marking
- Easy Way for Legal Meditation
- Section Linking
- Keywords Highlight
- Charts Wall Tapping
- Major Laws Bird View

Alpha Minor Linking Charts (Set of 4 Charts)
Criminal Minor Laws
Civil Minor Laws
Alpha Linking
Doctrines
Legal Maxims

All Major Laws Linking Charts (Set of 5 Charts)
Constitution of India
Civil Procedure Code, 1908
Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023
Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023
Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023

New Criminal Major Laws (Set of 2 Charts)
Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023
Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023
Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023

Linking Bare Act

- Criminal Major Laws 2023 (BNS, BNSS, BSA)
- Constitution of India
- Criminal Minor Laws
- Civil Minor Laws
- CPC, 1908
- Local Laws
- Family Laws
- IT Act, 2000
- A&C Act, 1996
- Environmental Laws
- Advocate Act, 1961
- Land Acquisition, 2013
- AIBE Additional Bare Acts
- Consumer Protection Act, 2019
- Transfer of Property Act, 1882
- Specific Relief Act, 1963
- NDPS Act, 1985
- PCPNDT Act, 1994
- Food Safety & Standards Act, 2006
- Motor Vehicles Act, 1988
- Indian Contract Act, 1872
- Labour & Industrial Law
- NI Act, 1881

and many more

Diglot Edition*

ALL-IN-ONE PAPERATHON©

For Preliminary, Mains & Interview

Covered more than 15 States' Judiciary Exams.
Available in English and Hindi Edition

Paperathon© Booklet

Unique Features

1. Sections Switching Table
2. Subject wise Division
3. Cut-Off (Result) Analysis
4. Chapter Wise Bifurcation
5. State Wise PYQ Coverage
6. Subject Weightage Analysis
7. Linked Provision & Explanation
8. Diglot Edition

Paperathon Booklet is smart analysis of all questions covered in previous papers of judiciary exam.

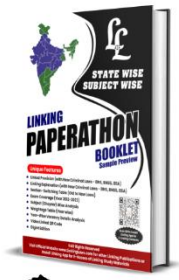

E-Study Material for Judiciary and Law Exams is available at **Linking App.**

Linking Support
988 774 6465 (Classes)
773 774 6465 (Publication)

Scan this QR
Order Now or visit
www.LinkingLaws.com

Sample Preview

ALL-IN-ONE PAPERATHON

CIVIL MINOR LAW - II

परिसीमा अधिनियम 1963
विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908

Prelims MCQs,
Mains & Interview Questions

हिंदी संस्करण

Sample Preview

Linking Publication
Jodhpur, Rajasthan

www.LinkingLaws.com

Preface

Hello & नमस्कार,

Since 2011, when I entered in Law field, I have felt that current system of studying law as a Law learner is quite traditional (like 1980's competition times). I strongly believed one thing that if you want to fight in present tough competition war like judiciary exams or any other law exam, you must be equipped with smart techniques to learn with tech support. So, in student life as LL.B. student, I used to start linking with one provision other similar provisions at same time, so that I can recall multiple sections/concepts in one MCQs.

Along with that I do believe in one statement, **"वर्तमान को समझने के लिए, अतीत को देखें और फिर भविष्य के बारे में सोचना शुरू करें"**. This statement is directly linked with every student life. So, I found previous papers helpful to understand previous exam level, source of question asked in those exam etc. But frankly saying, I was not satisfied with traditional way of just solving previous exam papers MCQs, instead I decided that to get better output in preparation, we need to analysis the previous paper subject wise rather year wise.

All these ideas, efforts, and experiences have come together in one powerful initiative—"**Paperathon**." It's not just a study tool; it's a movement towards smarter, sharper, and Subject wise strategic judiciary preparation. It is featured with the Linking Technique—a modern, game-changing approach that connects concepts, laws, and real-world application like never before.

In **Prelims**, you'll get linked provisions with clear explanations, helping you master the 'why' behind every question. In **Mains**, you'll learn how to write answers that don't just inform but impress—through linking-based structure and analysis. And for the **Interview**, Paperathon brings you exclusive, real-time Questions & Answers straight from those who've cracked it—now proudly serving as Civil Judges across various states.

This is more than preparation—it's transformation. And I truly believe Paperathon will save you time, boost your confidence, and help you walk into every stage of the exam with clarity, strategy, and a winning edge.

"Don't just prepare. Link your preparation with purpose, precision, and power."

With belief in your journey,

- **Tansukh Paliwal**

Founder of Linking Laws

© All rights including copyright reserved with the publisher.

Sample Preview

Disclaimer

No part of the present book may be reproduced re-casted by any person in any manner whatsoever or translated in any other language without written permission of publishers or Author(s). All efforts have been made to avoid any error or mistakes as to contents but this book may be subject to any un-intentional error/omission etc.

Edition : 2026

www.LinkingLaws.com

INDEX		
Sr. No.	**Subjects**	**Page No.**
Part – I **Prelims MCQs**		
1.	परिसीमा अधिनियम 1963	1-42
2.	विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963	43-64
3.	रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908	65-76
Part – II **Mains Questions Solved**		
4.	परिसीमा अधिनियम 1963	77-116
5.	विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963	117-158
6.	रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908	159-205
Part – III **Interview Questions Solved**		
7.	परिसीमा अधिनियम 1963	206-207
8.	विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963	208-209
9.	रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908	210-211
10.	**Scan QR** for **Landmark Judgments** **(Year wise & Subject wise)**	212

Sample Preview

Part - I

Prelims MCQs

Sample Preview

PART - I
प्रारंभिक (1-2)

1. परिसीमा अधिनियम की धारा 2(c) के अनुसार, विनिमय पत्र में ..... शामिल है।
(a) प्रतिज्ञापत्र और बन्धपत्र
(b) प्रतिज्ञापत्र
(c) एक हुंडी और एक चेक
(d) बन्धपत्र

[CG PCS(J) 2015]

Ans. [c]
लिंकिंग प्रावधान; धारा 2 (सी) परिसीमा अधिनियम।
स्पष्टीकरण: धारा 2(c) के अनुसार, विनिमय पत्र में हुंडी और चेक शामिल होता है।

2. परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत आवेदक में शामिल है-
(a) आर्जीदार
(b) वह व्यक्ति जिससे या जिसके माध्यम से आवेदक आवेदन करने का अपना अधिकार व्युत्पन्न करता है
(c) वह व्यक्ति जिसकी सम्पदा का प्रतिनिधित्व आवेदक द्वारा निष्पादक प्रशासक या अन्य प्रतिनिधि के तौर पर किया जाता है
(d) उपरोक्त सभी

[CG PCS(J) 2019]

Ans. [d]
लिंकिंग प्रावधान: धारा 2(a) परिसीमा अधिनियम

3. किसी मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि केवल भारतीय मर्यादा अधिनियम, 1963 ही सम्पूर्ण देश के लिए मर्यादा सम्बन्धी सामान्य विधि है, मर्यादा की अवधि निर्धारित करने वाले अन्य सभी कानून या तो विशेष विधियाँ हैं या फिर स्थानीय। यदि वे विशिष्ट मामलों के लिए समयावधि निर्धारित करती हैं, तो उन्हें विशेष विधियों कहा जायेगा :
(A) लता कामत बनाम विलास
(B) जस्टीनियानो बनाम एण्टोनियो
(C) सिण्डीकेट बैंक बनाम प्रभा डी. नायक
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

[CG PCS(J) 2023]

Ans. [B]
लिंकिंग प्रावधान- धारा 5, 29 L/w धारा 3, 4, 12-15 परिसीमा अधिनियम।
स्पष्टीकरण-धारा 5 कुछ मामलों में विहित काल के विस्तार से संबंधित है। यह अदालत को अपील या आवेदन दाखिल करने में देरी को माफ करने में सक्षम बनाता है, अगर अपीलकर्ता या आवेदक अदालत को संतुष्ट करता है कि उसके पास अपील को प्राथमिकता नहीं देने या सीमा की निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन करने का पर्याप्त कारण था।
धारा 29(2) – धारा 3-24 सीमा अधिनियम की प्रयोज्यता जहां, कोई भी विशेष या स्थानीय विधि किसी भी वाद, अपील या आवेदन के लिए परिसीमा अधिनियम की अनुसूची द्वारा विहित अवधि से अलग सीमा की अवधि निर्धारित करता है।
विधिक मामला- जस्टिनियानो ऑगस्टो बनाम एंटोनियो विसेंट (1979) में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि परिसीमा अधिनियम पूरे देश के लिए एकमात्र सामान्य विधि है। ऑगस्टो की अवधि निर्धारित करने वाले अन्य सभी विधि या तो विशेष विधि या स्थानीय विधि हैं। यदि वे विशिष्ट मामलों के लिए समयावधि निश्चित करते हैं तो उन्हें विशेष विधि कहा जाएगा।

4. परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 2 के अन्तर्गत निम्न में से क्या परिभाषित नहा है?
(1) विनिमय पत्र
(2) बन्धपत्र
(3) चैक
(4) वचनपत्र

[RJS 2021]

Ans. (3)
स्पष्टीकरण - धारा 2 - में चैक परिभाषित नहीं है जबकि चैक धारा 6 (रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1908) में परिभाषित है।
अन्य परिभाषाए -
1. आवेदक **2.** आवेदन **3.** विनिमय पत्र
4. बंधपत्र **5.** प्रतिवादी **6.** सुखाचार
7. विदेश **8.** सद्भाव **(**धारा **52** दंड प्रक्रिया संहिता में भी**)**
9. वादी **10.** परिसीमा काल **11.** वचनपत्र
12. वाद **13.** अपकृत्य **14.** न्यासी।

5. परिसीमा अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत निम्न में से कौनसी परिभाषा सही नहीं है?
(1) 'अपकृत्य' से ऐसा सिविल दोष अभिप्रेत है जो केवल संविदा भंग या न्यास भंग हो।
(2) वाद' के अन्तर्गत अपील या आवेदन नहीं आता है।
(3) विदेश से अभिप्रेत है भारत से भिन्न कोई भी देश।
(4) उपरोक्त में से कोई विकल्प नहीं।

[RJS 2021]

Ans. (1)
लिंकिंग प्रावधान -
1. **धारा** 2**(ज)** - संविदा **(**संविदा अधिनियम, 1872)
2. **धारा** 39 - पूर्वकालिक संविदा भंग **(**संविदा अधिनियम**,** 1872)**।**
3. **धारा** 11 - न्यास भंग में की गयी संविदा का प्रवर्तन नहीं **(**विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963)**।**
स्पष्टीकरण - धारा 2 - अपकृत्य से आशय ऐसा सिविल दोष है जो संविदा भंग या न्यास भंग नहीं है।
अन्य परिभाषाए -
1. आवेदक **2.** आवेदन **3.** विनिमय पत्र
4. बंधपत्र **5.** प्रतिवादी **6.** सुखाचार
7. विदेश **8.** सद्भाव **(**धारा **52** दंड प्रक्रिया संहिता में भी**)**
9. वादी **10.** परिसीमा काल **11.** वचनपत्र
12. वाद **13.** अपकृत्य **14.** न्यासी।

6. परिसीमा अधिनियम का
(a) कठोर अर्थान्वयन होना चाहिए
(b) यह एक सुविस्तृत संहिता है
(c) प्रक्रिया का नियम है
(d) उपरोक्त सभी

[Raj. JLO 2013-14]

Ans [d]
स्पष्टीकरण :- परिसीमा अधिनियम का निर्वाचन कठोर (धारा 3 परिसीमा अवधि के पश्चात दायर वाद, आवेदन तथा अपील पर रोक) तथा, यह एक पूर्ण विधि है, प्रक्रिया का नियम है ।

7. मर्यादा अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत 'आवेदक' से अभिप्राय है
(a) कोई याचिकाकर्ता
(b) कोई व्यक्ति जिससे या जिसके द्वारा कोई आवेदक आवेदन का अधिकार प्राप्त करता है
(c) कोई व्यक्ति जिसकी सम्पदा का प्रतिनिधित्व आवेदक द्वारा निष्पादक, प्रशासक या अन्य प्रतिनिधि की भाँति किया जाता है
(d) उपरोक्त सभी

[Raj. JLO 2013-14]

Ans [d]
लिंकिंग प्रावधान:- धारा 2(ख) – आवेदन ।

Sample Preview

www.LinkingLaws.com

स्पष्टीकरण :- धारा 2(क) के अनुसार- आवेदक के अंतर्गत उपरोक्त सभी व्यक्ति शामिल है ।

8. परिसीमा अधिनियम, 1963 किस तारीख को प्रवृत्त हुआ था ?
(a) 26 जनवरी, 1964
(b) 1 जनवरी, 1964
(c) 15 जनवरी, 1964
(d) 1 मई, 1964

[WBJS, 2018, 2022, Raj. JLO 2013-2014. 2019]

Ans [b]
स्पष्टीकरण- परिसीमा अधिनियम 1 जनवरी 1964 को लागू हुआ। जबकि अधिनियम 1963 में अधिनियमित किया गया था और जुलाई 1963 में इसकी शाही सहमति प्राप्त हुई थी, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त इसकी प्रभावी प्रवर्तन तिथि 1 जनवरी, 1964 थी।

9. परिसीमा अधिनियम, 1963 की किस धारा के अन्तर्गत "सीमा की अवधि" को परिभाषित किया गया है ?
(a) धारा 2 (ग)
(b) धारा 2 (घ)
(c) धारा 2 (ज)
(d) धारा 2 (ञ)

[Raj. JLO 2019]

Ans [d]
स्पष्टीकरण - धारा -2 (जे) - परिसीमा अधिनियम, 1963 में, 'सीमा की अवधि' का अर्थ परिसीमा अधिनियम की अनुसूची के तहत किसी भी मुकदमे, अपील या आवेदन के लिए निर्धारित सीमा की अवधि है, जो दावों की एक श्रृंखला और उनकी समयसीमा को कवर

10. परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 2 (ठ) के अन्तर्गत 'वाद' में सम्मिलित हैं
(a) अपील
(b) आवेदन
(c) पुनरीक्षण
(d) इनमे से कोई नहीं

[Raj. JLO 2019]

Ans [d]
स्पष्टीकरण :- धारा 2 के अंतर्गत परिभाषाएँ

1. आवेदक	2. आवेदन
3. विनिमय पत्र	4. बांड
5. प्रतिवादी	6. सुखभोग
7. विदेश	8. सद्भावना
9. वादी	10. परिसीमा अवधि
11. वचन पत्र	12. वाद
13. टोर्ट	14.ट्रस्टी

11. परिसीमा अधिनियम के उद्देश्य निम्नलिखित हैं/हैं:
कथन I: मुकदमेबाजी का कभी अंत नहीं होना चाहिए।
कथन II: विग्लेंटिबस नॉन डोरमेंटिबस जुरा सबवेनियंट।
कथन III: यह न्यायिक उपचार पर विबंधन लगाता है लेकिन मूल अधिकार स्वयं जीवित रहता है और अन्य तरीकों से उपलब्ध रहता है।
सही विकल्प चुनें:
(a) केवल I
(b) केवल II और III
(c) केवल III
(d) केवल I और II

[HPJS 2019]

Ans [b]

स्पष्टीकरण- परिसीमा के कानून को उस समय सीमा के रूप में निर्धारित किया गया है जो पीड़ित व्यक्ति को विभिन्न मुकदमों और कार्यवाही के लिए दी जाती है जिसके भीतर वे निवारण या न्याय के लिए अदालत से संपर्क कर सकते हैं। उद्देश्य-
i) इंटरेस्ट रिपब्लिका यूट सिट फिनिस लिटियम यानी राज्य के हित के लिए आवश्यक है कि मुकदमेबाजी का अंत होना चाहिए।
ii) विजिलेंटिबस नॉन डॉर्मिएंटिबस ज्यूरा सबवेनियंट यानी कानून सतर्क व्यक्ति की सहायता करता है, न कि उसकी जो अपने अधिकारों के बारे में सोता है।
iii) परिसीमन का कानून एक प्रक्रियात्मक कानून होने के कारण ऐसे अधिकार को लागू करने के लिए उपलब्ध न्यायिक उपचार पर विबंधन लगाता है, लेकिन मूल अधिकार जीवित रहता है और उपलब्ध रहता है यदि इसे लागू करने के अन्य तरीके या साधन हैं [केस- लाला बालमुकुंद बनाम लाजवंती (केस- लाला बालमुकुंद बनाम लाजवंती (1975)]

12. 'परिसीमा काल' शब्द का अर्थ है:
(A) इस अधिनियम के तहत अनुसूची द्वारा किसी भी वाद, अपील या आवेदन के लिए निर्धारित परिसीमा की अवधि।
(B) आवेदन के लिए सीमित अवधि।
(C) केवल वाद के लिए निर्धारित परिसीमा की अवधि।
(D) वाद के लिए निर्धारित अवधि लेकिन अपील के लिए लागू नहीं।

[WBJS, 2018]

Ans. [A]
लिंकिंग प्रावधान - धारा 2(j), 3 परिसीमा अधिनियम, 1963
स्पष्टीकरण : 'परिसीमा काल' शब्द का तात्पर्य परिसीमा अधिनियम की अनुसूची के अनुसार किसी भी वाद, अपील या आवेदन को शुरू करने के लिए निर्धारित समय से है।

13. परिसीमा अधिनियम, 1963 के प्रयोजनों के लिए, निर्धारित अवधि का अर्थ है:
(a) अनुसूची द्वारा किसी भी मुकदमे, अपील या आवेदन के लिए निर्धारित सीमा की अवधि
(b) परिसीमा अवधि की गणना इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी
(c) ए और बी दोनों
(d) पार्टियों के बीच समझौते में निर्धारित अवधि

[HPJS 2019]

Ans [c]
लिंकिंग प्रावधान- धारा 2(जे) I/wधारा 3-5, 12-24, अनुसूची लिम। कार्यवाही करना।
स्पष्टीकरण- धारा 2(जे) "सीमा की अवधि और निर्धारित अवधि" को परिभाषित करती है। इस धारा के अनुसार, "निर्धारित अवधि" का अर्थ इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार गणना की गई सीमा की अवधि है।

14. निम्नलिखित में से किस पर परिसीमा का सिद्धांत पाया जाता है?
(A) सार्वजनिक नीति पर विचार
(B) समीचीनता
(C) (A) और (B) दोनों
(D) इनमें से कोई नहीं

[OJS 2015]

Ans[c]
स्पष्टीकरण - परिसीमा का नियम एक समय अवधि निर्धारित करता है जिसके भीतर एक अधिकार को न्यायालय में लागू किया जा सकता है। अधिनियम की अनुसूची में विभिन्न वादों के लिए समयावधि का प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य मुकदमेबाजी को लंबे समय तक खींचने से रोकना और मामलों का त्वरित निपटान करना है जिससे

Sample Preview

Part - I : प्रारम्भिक (1-3)

1. ऐसे शब्द एवं पद जो विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम में प्रयुक्त हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित नहीं हैं उनके वे ही अर्थ होंगे जैसा परिभाषित है -

(a) साधारण खण्ड अधिनियम में
(b) भारतीय संविदा अधिनियम में
(c) सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम में
(d) सिविल प्रक्रिया संहिता में

[BJS 2016]

Ans. [b]
लिंकिग प्रावधान :-
1. **धारा 9 -** संविदा अधिनियम में जो प्रतिरक्षा उपलब्ध, विनिर्दिष्ट अनुतोष के वाद में भी उपलब्ध।
2. **धारा 10 -** कौनसी संविदा का विनिर्दिष्ट पालन किया जाए।

स्पष्टीकरण - धारा 2(ङ) - ऐसे अन्य शब्द जो विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम में प्रयोग किये गए है परंतु परिभाषित नही है, वही अर्थ होगा जो संविदा अधिनियम में है।

2. विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम में साम्य के सिद्धांतों की वैधानिक वैधता के संबंध में है-

(a) विनिर्दिष्ट पालन
(b) व्यादेश
(c) सुधार और निरसन
(d) उपरोक्त सभी

[BJS 2018]

Ans. [d]
लिंकिंग प्रावधान- धारा 10, 26-30, 36-42 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम ।
स्पष्टीकरण- विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम में, विनिर्दिष्ट पालन, व्यादेश, सुधार और निरसन इक्विटी के सिद्धांतों की वैधानिक वैधता है।

3. क्या लागू करने के लिए विनिर्दिष्ट अनुतोष प्रदान किया जाता है?

(a) व्यक्तिगत सिविल अधिकार
(b) दंड कानून
(c) व्यक्तिगत सिविल अधिकार और दंड कानून दोनों
(d) व्यक्तिगत आपराधिक दायित्व

[CG PCS(J) 2015, MPCJ 2018-I, **OJS 2023***]*

Ans. [a]
लिंकिंग प्रावधान: धारा 4 SRA.
स्पष्टीकरण: धारा 4 SRA. यह प्रदान करता है कि विनिर्दिष्ट अनुतोष केवल व्यक्तिगत सिविल अधिकारों को लागू करने के उद्देश्य से दी जा सकती है, न कि दंड कानून लागू करने के उद्देश्य के लिए।

4. निम्न में से कौन-सा उपाय विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के तहत नहीं दिया जा सकता है?

(a) घोषणात्मक डिक्री
(b) लिखतों का रद्दकरण
(c) शाश्वत निषेधाज्ञा प्रदान करना
(d) रिट जारी करना

[CG PCS(J) 2015]

Ans. [d]
स्पष्टीकरण: SRA के तहत रिट जारी नहीं किया जा सकता है.
संविधान के अनुच्छेद 32, 139, 226 के तहत रिट जारी की जा सकती है।
घोषणात्मक डिक्री- **धारा 34-35**
लिखत रद्द करना- **धारा 30-33**
स्थायी निषेधाज्ञा का अनुदान- **धारा 38**

5. "वह जो साम्य चाहता है उसे साम्य करना चाहिए" निम्नलिखित में से किसमें विशेष रूप से शामिल है?

(a) सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 9
(b) विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 38
(c) दोनों (ए) और (बी)
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

[BJS 2018]

Ans. [d]
लिंकिंग प्रावधान- धारा 30 L/w 17, 18, 20 SRA, 19क ICA, 35 TPA, आदेश 8 नियम 6 सीपीसी।
स्पष्टीकरण- यह उक्ति, "वह जो साम्य चाहता है उसे साम्य करना चाहिए" कहता है कि वादी भी न्यायालय की शक्तियों के अधीन है और साम्य के सिद्धांत का पालन करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए बाध्य है। इस प्रकार, यह अधिकतम उस पक्ष पर लागू होता है जो समान अनुतोष चाहता है क्योंकि यह निर्धारित करता है कि वादी को भी अपने विरोधी के अधिकार को पहचानना और प्रस्तुत करना चाहिए।

6. विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के तहत एक लिखत "व्यवस्थापन" नहीं है

(a) जिससे वसीयत द्वारा संपत्ति में हित न्यायगमित होता है
(b) जिसके द्वारा जंगम सम्पत्ति में हित का गंतव्य व्ययनित किया जाता है
(c) जिसके द्वारा स्थावर संपत्ति में लगातार हितों के न्यायगमन को व्ययनित किया जाता है
(d) जिसके द्वारा स्थावर संपत्ति में हित के न्यायगमन को व्ययनित किया जाना तय किया जाता है

[MPCJ 2017]

Ans. [a]
लिंकिंग प्रावधान- धारा 2 (बी) SRA।
स्पष्टीकरण- धारा 2(बी) व्यवस्थापन से संबंधित है जिसका मतलब है कि जंगम या स्थावर संपत्ति को उनके लगातार हितों के लिए वितरण करना जब इसे निपटाने के लिए सहमति हो जाती है। इसे एक ऐसे लिखत के रूप में परिभाषित किया गया है जो वसीयत या कोडिसिल के अन्य है।

8. विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 का विस्तार निम्नलिखित तक है:

(A) जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत
(B) संपूर्ण भारत
(C) केवल राज्यों की राजधानी शहरों के लिए
(D) केंद्रशासित प्रदेशों को छोड़कर संपूर्ण भारत

[OJS 2023]

Ans [B]
लिंकिंग प्रावधान- धारा 1 एसआरए।
स्पष्टीकरण- धारा 1(2) के अनुसार, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (31/10/2019 से) प्रभावी होने के बाद पूरे भारत में लागू है।

8. विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की निम्नलिखित में से कौन-सी धारा "व्यवस्थापन" को परिभाषित करती है?

(A) धारा 2 (क)
(B) धारा 2 (ख)
(C) धारा 2 (ग)
(D) धारा 2 (घ)

[CG PSC(J) 2025]

Ans. [B]
लिंकिंग प्रावधान: विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 2(ख)
स्पष्टीकरण:

Sample Preview

www.LinkingLaws.com

- धारा 2(क): बाध्यता
- विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 2(ख) के अनुसार, व्यवस्थापन एक ऐसे दस्तावेज़ (वसीयत या कोडिसिल के अलावा) को संदर्भित करता है जो चल या अचल संपत्ति में क्रमिक हितों के गंतव्य या हस्तांतरण को रेखांकित करता है, जिसका या तो निपटान किया जाता है या निपटान के लिए सहमति होती है।
- सरल शब्दों में, व्यवस्थापन में सहमति के अनुसार क्रमिक हितों को संपत्ति सौंपना शामिल है।
- धारा 2(ग): ट्रस्ट
- धारा 2(घ): ट्रस्टी

9. विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963- विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 का विस्तार है-

(a) जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर।
(b) सम्पूर्ण भारत पर।
(c) केवल राज्यों के राजधानी शहरों तक।
(d) केंद्रशासित प्रदेशों को छोड़कर संपूर्ण भारत पर।

[MPCJ 2024]

Ans. [b]
लिंकिंग प्रावधान :- धारा 1-4 - प्रारंभिक।
स्पष्टीकरण :-धारा 1(2) यह जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में लागू है।

10. विशिष्ट प्रतिकर दिया जा सकता है—

(A) व्यक्तिगत नागरिक अधिकारों को लागू करने के लिए
(B) दंडात्मक कानूनों को लागू करने के लिए
(C) दोनों, नागरिक अधिकार और दंडात्मक कानूनों के लिए
(D) न तो नागरिक अधिकारों और न ही दंडात्मक कानूनों के लिए

Ans. [A]
स्पष्टीकरण- धारा 4, विशिष्ट प्रतिकर अधिनियम के अनुसार, विशिष्ट प्रतिकर केवल व्यक्तिगत नागरिक अधिकारों को लागू करने के उद्देश्य से दिया जा सकता है, न कि मात्र दंडात्मक कानून को लागू करने के लिए।

Part II
विनिर्दिष्ट अनुतोष
अध्याय – I : सम्पत्ति के कब्जे का प्रत्युद्धरण (5-8)

11. विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति की वसूली किस प्रकार प्रवर्तित की जा सकती है?

(A) विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति के कब्जे का हकदार व्यक्ति विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 द्वारा प्रदान की गई विधि से इसे पुनः प्राप्त कर सकता है।
(B) विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति के कब्जे का हकदार व्यक्ति संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 द्वारा प्रदान की गई विधि से इसे पुनः प्राप्त कर सकता है।
(C) विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति के कब्जे का हकदार व्यक्ति दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 द्वारा प्रदान की गई विधि से इसे पुनः प्राप्त कर सकता है।
(D) विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति के कब्जे का हकदार व्यक्ति सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 द्वारा प्रदान की गई विधि से इसे पुनः प्राप्त कर सकता है।

[AIBE XIX – 2024]

Ans. (D)
लिंकिंग प्रावधान –
1. **धारा 6** – स्थावर संपत्ति से बेदखल व्यक्ति द्वारा वाद।
2. **धारा 7** – विनिर्दिष्ट जंगम संपत्ति की वसूली।

स्पष्टीकरण:- विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963, धारा 5 और 6 के तहत स्थावर संपत्ति के कब्जे को पुनः प्राप्त करने के लिए विधिक ढांचा प्रदान करता है।
धारा 5
- कोई व्यक्ति जो विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति के कब्जे का हकदार है, वह इसे पुनः प्राप्त कर सकता है।
- यह सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 द्वारा प्रदान किए गए तरीके से किया जाता है।

12. विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 - कोई भी व्यक्ति जिसका जंगम सम्पत्ति की किसी भी विशिष्ट वस्तु पर कब्जा अथवा नियंत्रण है जिसका वह स्वामी नहीं है, वह उसके अव्यवहित कब्जे के हकदार व्यक्ति को निम्नलिखित दशाओं में से किस दशा में उसका विनिर्दिष्टत: परिदान करने के लिए विवश किया जा सकेगा ?

(a) जबकि दावाकृत वस्तु प्रतिवादी द्वारा वादी के अभिकर्ता अथवा न्यासी के रूप में धारित हो।
(b) जबकि दावाकृत वस्तु की हानि के लिए धन के रूप में प्रतिकर वादी को यथायोग्य अनुतोष पहुंचाता हो।
(c) जबकि उसकी हानि से कारित वास्तविक नुकसान का अभिनिश्चय करना अत्यन्त आसान हो।
(d) जबकि दावाकृत वस्तु का कब्जा वादी के पास से अधिकारपूर्वक अन्तरित कराया गया हो।

[MPCJ 2024]

Ans. [a]
लिंकिंग प्रावधान :- धारा 7 - विशिष्ट जंगम संपत्ति के कब्जे का हकदार व्यक्ति सीपीसी द्वारा प्रदान किए गए तरीके से इसे पुनर्प्राप्त कर सकता है।
स्पष्टीकरण :- किसी भी व्यक्ति के पास जंगम संपत्ति है, जिसका वह मालिक नहीं है, उसे विशेष रूप से उस चीज के लिए मजबूर किया जा सकता है जिसका दावा किया गया है कि वह प्रतिवादी द्वारा अभिकर्ता या न्यासी या वादी के रूप में रखी गई है।

13. विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 6 के तहत कोई मुकदमा ..... की समाप्ति के बाद नहीं लाया जाएगा। बेदखली की तारीख से।

(A) एक महीना
(B) दो महीने
(C) तीन महीने
(D) छह महीने

[GJS, 2025]

Ans. [D]
लिंकिंग प्रावधान- धारा 6 L/w धारा 5, 7 SRA।
स्पष्टीकरण- धारा 6 अचल संपत्ति से बेदखल व्यक्ति द्वारा मुकदमे से संबंधित है। इसमें प्रावधान है कि यदि किसी व्यक्ति को कानून की प्रकृति के विरुद्ध संपत्ति से बेदखल या अलग कर दिया गया है, तो वह व्यक्ति कब्जे की वसूली के लिए मुकदमा दायर कर सकता है।
आवश्यक शर्तें-
i) बेदखली के लिए मुकदमा करने वाले व्यक्ति के पास उस संपत्ति का कब्जा होना चाहिए।
ii) व्यक्ति को अवैध रूप से संपत्ति से बेदखल किया जाना चाहिए।
iii) बेदखली मुकदमा करने वाले व्यक्ति की सहमति के बिना होनी चाहिए।
iv) बेदखली की तारीख से 6 महीने की समाप्ति के बाद कोई मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता है।
v) सरकार के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं लाया जा सकता।

14. विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत, चल सम्पत्ति पर कब्जा रखने वाले प्रतिवादी को उसे वादी को सौंपने के लिए कब बाध्य किया जा सकता है ?

(A) जब संपत्ति वादी के एजेंट या ट्रस्टी के रूप में रखी जाती है

Sample Preview

भाग : I : प्रारम्भिक (Sec 1-2)

1. 'स्थावर सम्पत्ति' को रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के अंतर्गत में परिभाषित किया गया है।
(A) धारा 2(5)
(B) धारा 2(6)
(C) धारा 2(10)
(D) धारा 2(9)

[CG PSC(J) (Feb.) 2023]

Ans. [B]
लिंकिंग प्रावधान- धारा 2(6) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम L/w धारा 3 टीपीए, 3(26) सामान्य खंड अधिनियम।
स्पष्टीकरण-धारा 2(6) "स्थावर संपत्ति" को परिभाषित करती है। यह प्रदान करता है कि स्थावर संपत्ति में भूमि, भवन, वंशानुगत भत्ते, रास्तों के अधिकार, रोशनी, घाट, मत्स्य पालन या भूमि से उत्पन्न होने वाला कोई अन्य लाभ, और पृथ्वी से जुड़ी चीजें, या स्थायी रूप से किसी भी चीज़ से जुड़ा हुआ है जो पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, लेकिन खड़े वृक्ष की लकड़ी, न उगती फसलें और न ही घास।

2. पंजीकरण अधिनियम, 1908 किस पर लागू हुआ:
(a) 30 सितंबर, 1908
(b) 31 दिसंबर, 1908
(c) 1 जनवरी, 1909
(d) 1 अप्रैल, 1909

[PCS (JB) 2015]

Ans. [c]
लिंकिंग प्रावधान- धारा 1 विनियम अधिनियम।
स्पष्टीकरण- धारा 1 संक्षिप्त शीर्षक, सीमा और प्रारंभ से संबंधित है। धारा 1 (3) के अनुसार, विनियम अधिनियम 1 जनवरी, 1909 को लागू होगा।

3. पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 2 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा शब्द परिभाषित नहीं है?
(a) पंजीकरण
(b) जोड़
(c) समर्थन
(d) पट्टा

[PCS (JB) 2019]

Ans. [a]
लिंकिंग प्रावधान: - धारा 2- परिभाषाएँ
स्पष्टीकरण:- धारा 2- परिभाषाएँ-
(1) अतिरिक्त, (2) पुस्तक, (3) जिला और उप-जिला,
(4) जिला न्यायालय, (5) समर्थन और समर्थित,
(6) अचल संपत्ति, (6 ए) भारत, (7) पट्टा,
(8) नाबालिग, (9) चल संपत्ति, (10) प्रतिनिधि।

4. निम्नलिखित में से कौन सी पंजीकरण अधिनियम के तहत एक अचल संपत्ति है:
(a) फसलें
(b) घास
(c) खड़ी लकड़ी
(d) वंशानुगत भत्ते

[PCS (JB) 2023]

Ans. [डी]
लिंकिंग प्रावधान :-
1. **धारा 3(26), सामान्य खंड अधिनियम, 1897, "अचल संपत्ति" को परिभाषित करता है।**
2. **धारा 3 - परिभाषित करता है, "अचल संपत्ति" टीपीए 1882 के तहत।**

स्पष्टीकरण: - धारा 2 (6) "अचल संपत्ति" में भूमि, भवन, वंशानुगत भत्ते, रास्ते, रोशनी, घाट, मत्स्य पालन या भूमि से उत्पन्न होने वाले किसी अन्य लाभ के अधिकार, और पृथ्वी से जुड़ी चीजें, या स्थायी रूप से ऐसी किसी भी चीज से जुड़ी हुई हैं जो पृथ्वी से जुड़ी हुई है, लेकिन खड़ी लकड़ी, फसल उगाने और घास नहीं है।

5. पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 7 के अनुसार, राज्य सरकार प्रत्येक ..... में एक कार्यालय स्थापित करेगी जिसे रजिस्ट्रीकृत के कार्यालय के नाम से जाना जाएगा।
(a) तालुका (b) जिला
(c) शहर (d) उप-जिला

[HCS (JB) 2014]

Ans. [b]
लिंकिंग प्रावधान:-
1. **धारा 6-** रजिस्ट्रार और उप-पंजीयक।
2. **धारा 7-** रजिस्ट्रार और सब-रजिस्ट्रार के कार्यालय।
3. **धारा 10-** रजिस्ट्रार की अनुपस्थिति या उनके कार्यालय में रिक्ति ।
4. **धारा 11-** अपने जिले में ड्यूटी पर रजिस्ट्रार की अनुपस्थिति।
5. **धारा 12-** उप-पंजीयक की अनुपस्थिति या उनके कार्यालय में रिक्ति ।
6. **धारा 13-** धारा 10, 11 और 12 के तहत नियुक्तियों के बारे में राज्य सरकार को रिपोर्ट करना।

स्पष्टीकरण:- धारा 7 **के अनुसार**, राज्य सरकार प्रत्येक जिले में रजिस्ट्रार का एक कार्यालय और प्रत्येक उप-जिले में उप-पंजीयक या संयुक्त उप-पंजीयक का कार्यालय स्थापित करेगी।

6. रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 16-क को जोड़ा गया :
(A) Year 2001
(B) Year 1999
(C) Year 2004
(D) Year 1998

[CG PSC(J) (Feb.) 2023]

Ans. [A]
लिंकिंग प्रावधान- धारा 16क L/w धारा 16 रजिस्ट्रीकरण अधिनियम।
स्पष्टीकरण- धारा 16क कंप्यूटर फ्लॉपी, डिस्केट आदि में पुस्तकों को रखने से संबंधित है। इसे 2001 के अधिनियम 48 द्वारा 24/09/2001 से लागू किया गया था। यह प्रदान करता है कि धारा 16(1) के तहत प्रदान की गई पुस्तकों को कंप्यूटर फ्लॉपी या डिस्केट या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी रखा जा सकता है और राज्य सरकार की मंजूरी से महानिरीक्षक द्वारा निर्धारित सुरक्षा उपायों के अधीन।

7. जब किसी जिले के रजिस्ट्रार का पद अस्थायी रूप से रिक्त हो, तो रिक्तो भरने तक किसे किसी व्यक्ति को रजिस्ट्रार नियुक्त करने का अधिकार है?
(A) राज्यपाल
(B) राज्य सरकार की सलाह पर राज्यपाल
(C) रजिस्ट्रेशन महानिरीक्षक
(D) जिला न्यायाधीश

[CG PSC(J) (Feb.) 2023]

Ans. [C]
लिंकिंग प्रावधान- धारा 10 L/w 3, 6-8, 11-12 रजिस्ट्रीकरण अधिनियम।
स्पष्टीकरण- धारा 10 रजिस्ट्रार की अनुपस्थिति या उनके कार्यालय में रिक्ति से संबंधित है। यह प्रदान करता है कि जब कोई रजिस्ट्रार, जो एक

Sample Preview

www.LinkingLaws.com

Part - II

Mains Questions Solved

Sample Preview

www.LinkingLaws.com

Law of Limitation

Previous Years' Questions of Mains Examinations

भाग – I : प्रारंभिक (1-2)

1. निर्धारित केस कानूनों की मदद से परीसीमा के कानून की नीति और उद्देश्य की व्याख्या करें।
Explain the policy and the objective of the law of Limitation with the help of decided case laws.

[HPJS 2019]

Ans. I. अर्थ - भारत में सीमा संबंधी कानून **Limitation Act, 1963** द्वारा नियंत्रित है। यह अधिनियम यह निर्धारित करता है कि किसी वाद, अपील या आवेदन को कितने समय के भीतर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।यदि निर्धारित अवधि के बाद वाद दायर किया जाता है तो वह कालबाह्य *(Time-barred)* हो जाता है। सामान्यतः यह अधिनियम अधिकार को समाप्त नहीं करता, बल्कि केवल उपचार (remedy) को प्रतिबंधित करता है।

II. सीमा विधि की नीति (Policy): सीमा विधि निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित है—
"विजिलैंटिबस नॉन डॉर्मिएंटिबस जुरा सबवेनीउंट" अर्थात् कानून उन्हीं की सहायता करता है जो अपने अधिकारों के प्रति सजग रहते हैं।
प्रमुख नीतियाँ:

1. **वादों का अंतिम निपटान (Finality of Litigation)**: प्रत्येक विवाद का एक निश्चित अंत होना चाहिए।
2. **पुराने एवं जर्जर दावों की रोकथाम (Prevention of Stale Claims)**: समय बीतने पर साक्ष्य नष्ट हो जाते हैं, गवाह उपलब्ध नहीं रहते।
3. **लोकनीति (Public Policy)**: न्यायिक व्यवस्था में स्थिरता एवं निश्चितता बनाए रखना।
4. **सतर्कता को प्रोत्साहन (Encouragement of Diligence)**: पक्षकारों को समय पर कार्यवाही करने हेतु प्रेरित करना।

III. सीमा विधि का उद्देश्य (Objective)

- वाद दायर करने के लिए समय-सीमा निर्धारित करना।
- अनावश्यक विलंब को रोकना।
- प्रतिवादी को लंबे समय बाद उत्पीड़न से बचाना।
- न्यायिक प्रक्रिया में निश्चितता और अनुशासन स्थापित करना।

IV. महत्वपूर्ण सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय

1. **P.K. Ramachandran v. State of Kerala**
   निर्णय:सीमा कानून को कठोरता से लागू किया जाना चाहिए। न्यायालय सहानुभूति या समानता (equity) के आधार पर अवधि नहीं बढ़ा सकता।
2. **Balwant Singh v. Jagdish Singh**
   निर्णय:धारा 5 के अंतर्गत "पर्याप्त कारण" (sufficient cause) का अर्थ उदारता से नहीं बल्कि युक्तिसंगत रूप से समझा जाना चाहिए। लापरवाही या उदासीनता को क्षमा नहीं किया जा सकता।
3. **Bharat Barrel & Drum Manufacturing Co. Ltd. v. ESI Corporation**
   निर्णय:सीमा कानून का उद्देश्य अधिकारों को नष्ट करना नहीं, बल्कि विलंब और दुरुपयोग को रोकना है।
4. **Popat and Kotecha Property v. State Bank of India Staff Association**
   निर्णय:कठिनाई या अन्याय की संभावना सीमा अवधि बढ़ाने का आधार नहीं हो सकती।
5. **कोविड-19 अवधि विस्तार निर्णय**
   In Re: Cognizance for Extension of Limitation
   सर्वोच्च न्यायालय ने कोविड महामारी के दौरान 15 मार्च 2020 से 28 फरवरी 2022 तक की अवधि को सीमा गणना से बाहर रखने का निर्देश दिया।
   यह असाधारण परिस्थिति में दिया गया विशेष आदेश था।

V. अधिनियम की महत्वपूर्ण धाराएँ (नीति को दर्शाने वाली)

1. **धारा 3** – न्यायालय स्वतः कालबाह्य वाद को खारिज करेगा, भले ही प्रतिवादी आपत्ति न उठाए।
2. **धारा 5** – अपील एवं आवेदन में पर्याप्त कारण होने पर विलंब क्षम्य है (परंतु वाद में नहीं)।
3. **धारा 18** – देनदारी की स्वीकृति से नई सीमा अवधि प्रारंभ होती है।
4. **धारा 27** – अचल संपत्ति के कब्जे संबंधी वाद में सीमा समाप्त होने पर अधिकार भी समाप्त हो जाता है।

VI. नवीन विकास / संशोधन

हाल के वर्षों में **Limitation Act, 1963** में कोई बड़ा संशोधन नहीं हुआ है, परंतु—

1. **Commercial Courts Act, 2015** (2018 संशोधन सहित) के तहत वाणिज्यिक वादों में समय-सीमा का कठोर पालन अनिवार्य किया गया है।
2. कोविड-19 के दौरान सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों द्वारा सीमा अवधि में अस्थायी छूट दी गई।
3. न्यायालयों ने हाल के निर्णयों में सीमा संबंधी प्रावधानों के सख्त अनुपालन पर बल दिया है।

सीमा विधि प्रक्रिया संबंधी (procedural) होते हुए भी लोकनीति पर आधारित है।
यह—

- वादों को अनिश्चितकाल तक लंबित रहने से रोकती है।
- विधिक निश्चितता स्थापित करती है।
- पक्षकारों को समय पर कार्यवाही हेतु प्रेरित करती है।

सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि सीमा कानून को कठोरता से लागू किया जाना चाहिए और न्यायालय केवल वही राहत दे सकता है जो अधिनियम में स्पष्ट रूप से प्रदान की गई है।

2. परिसीमा काल का क्या महत्व है?
What is the significance of period of limitation?

Sample Preview

www.LinkingLaws.com

[HJS 1998]

Ans. **सीमा अवधि (Period of Limitation) का महत्व:** सीमा अवधि वह निर्धारित समय है जिसके भीतर किसी वाद, अपील या आवेदन को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। यह व्यवस्था **Limitation Act, 1963** द्वारा नियंत्रित है। यदि निर्धारित अवधि के बाद वाद दायर किया जाता है तो वह कालबाह्य (time-barred) हो जाता है।

विधिक प्रभाव: सीमा अवधि समाप्त होने पर सामान्यतः अधिकार (right) समाप्त नहीं होता, बल्कि उसका उपचार (remedy) समाप्त हो जाता है। परंतु अचल संपत्ति के कब्जे जैसे मामलों में धारा 27 के अनुसार अधिकार भी समाप्त हो सकता है। इसलिए सीमा अवधि का प्रभाव केवल प्रक्रिया संबंधी नहीं, कुछ स्थितियों में मूल अधिकार पर भी पड़ता है।

सीमा अवधि का महत्व

1. **वादों की अंतिमता (Finality of Litigation)**
   प्रत्येक विवाद का एक निश्चित अंत होना आवश्यक है। सीमा अवधि न्यायिक प्रक्रिया में स्थिरता और निश्चितता लाती है।
2. **पुराने दावों की रोकथाम**
   समय बीतने पर साक्ष्य कमजोर हो जाते हैं, गवाह अनुपलब्ध हो सकते हैं। सीमा कानून अन्यायपूर्ण विलंब को रोकता है।
3. **न्यायिक अनुशासन**
   धारा 3 के अनुसार न्यायालय स्वयं कालबाह्य वाद को खारिज करेगा, चाहे प्रतिवादी आपत्ति उठाए या नहीं। इससे यह स्पष्ट है कि सीमा कानून अनिवार्य (mandatory) है।
4. **सतर्कता को प्रोत्साहन**
   कानून उन व्यक्तियों की सहायता करता है जो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहते हैं।
5. **प्रतिवादी की सुरक्षा**
   लंबे समय बाद मुकदमे का सामना करना प्रतिवादी के लिए अन्यायपूर्ण हो सकता है। सीमा अवधि उसे संरक्षण प्रदान करती है।

सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय

P.K. Ramachandran v. State of Kerala
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सीमा कानून को कठोरता से लागू किया जाना चाहिए। न्यायालय सहानुभूति के आधार पर अवधि नहीं बढ़ा सकता।

Balwant Singh v. Jagdish Singh
धारा 5 के अंतर्गत "पर्याप्त कारण" का अर्थ उदारतापूर्वक नहीं लिया जा सकता। लापरवाही को क्षमा नहीं किया जा सकता।

Popat and Kotecha Property v. State Bank of India Staff Association
कठिनाई या संभावित अन्याय सीमा अवधि की अवहेलना का आधार नहीं हो सकता। इन निर्णयों से स्पष्ट है कि सीमा अवधि न्यायिक प्रशासन का मूल सिद्धांत है।

संशोधन एवं नवीन विकास

हाल के वर्षों में **Limitation Act, 1963** में कोई बड़ा संशोधन नहीं हुआ है, परंतु—

1. **Commercial Courts Act, 2015** (2018 संशोधन सहित) में वाणिज्यिक वादों के लिए सख्त समय-सीमा निर्धारित की गई है।
2. कोविड-19 महामारी के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने **In Re: Cognizance for Extension of Limitation** में 15 मार्च 2020 से 28 फरवरी 2022 तक की अवधि को सीमा गणना से बाहर रखने का निर्देश दिया। यह असाधारण परिस्थिति में दिया गया विशेष आदेश था।

सीमा अवधि का महत्व अत्यंत व्यापक है। यह न्यायिक प्रक्रिया में निश्चितता, अनुशासन और अंतिमता स्थापित करती है। यह पुराने दावों को रोकती है, पक्षकारों को समय पर कार्यवाही हेतु प्रेरित करती है तथा प्रतिवादी को संरक्षण प्रदान करती है। सर्वोच्च न्यायालय ने बार-बार स्पष्ट किया है कि सीमा संबंधी प्रावधानों का कठोरता से पालन किया जाना चाहिए, क्योंकि वे लोकनीति पर आधारित हैं।

3. इनमें क्या अंतर है: / What is the difference between:
परीसीमा और चिरभोग का सिद्धांत Doctrine of limitation and prescription

[DJS 1980, M.P. CJ 2016]

Or

'परीसीमा कानून, चिरभोग के कानून के समान नहीं है' पर चर्चा करें।
Discuss 'Limitation law is not the same thing as law of prescription'.

[DJS 1973]

Ans. **परिसीमा और चिरभोग (Prescription) में अंतर — सारणीबद्ध रूप में**

आधार	परिसीमा (Limitation)	चिरभोग / प्रिस्क्रिप्शन (Prescription)
संबंधित विधि	**Limitation Act, 1963**	मुख्यतः **Limitation Act, 1963** की धारा 27 एवं प्रतिकूल कब्जा सिद्धांत
स्वरूप	प्रक्रिया संबंधी (Procedural)	मूल/सारभूत (Substantive)
समय समाप्ति का प्रभाव	केवल उपचार (remedy) बाधित होता है	अधिकार समाप्त या अर्जित हो सकता है
अधिकार पर प्रभाव	सामान्यतः अधिकार बना रहता है	मूल स्वामी का अधिकार समाप्त हो सकता है और नए व्यक्ति का अधिकार उत्पन्न हो सकता है
उदाहरण	ऋण वसूली का कालबाह्य वाद	अचल संपत्ति पर प्रतिकूल कब्जा
न्यायालय का कर्तव्य	धारा 3 के अनुसार कालबाह्य वाद स्वतः निरस्त करना	दीर्घकालीन, खुला एवं शत्रुतापूर्ण कब्जा सिद्ध होने पर स्वामित्व मान्यता देना
आधार	वाद दायर करने में समय-सीमा का उल्लंघन	लंबे समय तक शांतिपूर्ण, खुला एवं निरंतर कब्जा
उद्देश्य	वादों की अंतिमता और पुराने दावों की रोकथाम	दीर्घकालीन कब्जे को स्थिरता प्रदान करना
सर्वोच्च न्यायालय दृष्टिकोण	कठोर अनुप्रयोग — **P.K. Ramachandran v. State of Kerala**	प्रतिकूल कब्जा सिद्धांत — **Karnataka Board of Wakf v. Government of India**

Sample Preview

www.LinkingLaws.com

Part - III

Interview Questions Solved

Sample Preview

www.LinkingLaws.com

परिसीमा अधिनियम , 1963 (LIMITATION ACT, 1963)

1. परिसीमा अधिनियम की धारा 5 क्या है?

उत्तर : किसी भी अपील या किसी भी आवेदन को निर्धारित अवधि के बाद स्वीकार किया जा सकता है, यदि अपीलकर्ता या आवेदक अदालत को संतुष्ट करता है कि उसके पास अपील नहीं करने या ऐसी अवधि के साथ आवेदन नहीं करने के लिए पर्याप्त कारण था।

2. प्रतिकूल कब्जा क्या है?

उत्तर : यह एक कानूनी सिद्धांत है जिसके तहत एक व्यक्ति जिसके पास संपत्ति का कानूनी शीर्षक नहीं है, उसके कानूनी मालिक की अनुमति के बिना संपत्ति के निरंतर कब्जे या कब्जे के आधार पर कानूनी स्वामित्व प्राप्त करता है। उक्त अधिनियम प्रदान करता है कि जिस तिथि पर दावा करने के लिए कार्रवाई का अधिकार अर्जित किया गया था, उससे 12 वर्ष की समाप्ति की किसी भी भूमि को पुनर्प्राप्त करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। कार्रवाई के अधिकार को समाप्ति पर बेदखली की तिथि पर अर्जित माना जाएगा।

3. क्या लिमिटेशन एक्ट ने उपचार के अधिकार पर रोक लगा दी है या शीर्षक को समाप्त कर दिया है?

उत्तर : सर नहीं, सीमा अधिनियम केवल उपचार के अधिकार को रोकता है। यह न तो कोई अधिकार सृजित करता है और न ही किसी अधिकार को समाप्त करता है लेकिन धारा 27 उक्त नियम का अपवाद है। धारा 27 उपचार और अधिकार दोनों को समाप्त करती है।

4. धारा 27 क्या है ?

उत्तर : सर, यदि कोई व्यक्ति समय सीमा के भीतर कब्जे की वसूली के लिए मुकदमा दायर करने में विफल रहता है, तो उस संपत्ति का कब्जा वापस लेने का उसका अधिकार भी समाप्त हो जाता है।

5. सीमा अधिनियम, 1963 का संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ कब हुआ?

उत्तर : इसे सीमा अधिनियम, 1963 कहा जाता है। यह पूरे भारत में लागू होता है (प्रारंभ में जम्मू-कश्मीर को छोड़कर) और 1 जनवरी, 1964 से प्रभावी हुआ।

6. धारा 3 किससे संबंधित है?

उत्तर : धारा 3 के अनुसार, प्रत्येक वाद, अपील या आवेदन यदि निर्धारित अवधि के बाद दायर किया जाता है, तो उसे खारिज कर दिया जाएगा, चाहे सीमा का आग्रह किया गया हो या नहीं।

7. धारा 4 क्या प्रावधान करती है?

उत्तर : धारा 4 के अनुसार, यदि निर्धारित अवधि न्यायालय के बंद रहने पर समाप्त हो जाती है, तो वाद या आवेदन न्यायालय के पुनः खुलने के दिन दायर किया जा सकता है।

7. धारा 9 निरंतर समय-गणना के संबंध में क्या कहती है?

उत्तर : धारा 9 के अनुसार, एक बार समय चलना शुरू हो जाने पर, कोई बाद की अक्षमता या असमर्थता उसे रोक नहीं सकती, सिवाय विधि द्वारा प्रदत्त अपवादों के।

8. धारा 10 न्यासियों के विरुद्ध वादों के संबंध में क्या है?

उत्तर : धारा 10 के अनुसार, न्यासियों के विरुद्ध न्यास में रखी संपत्ति के संबंध में वादों पर कोई सीमा लागू नहीं होती।

9. धारा 12 विधिक कार्यवाही में समय की बहिष्करण के संबंध में क्या कहती है?

उत्तर : धारा 12 के अनुसार, सीमा की गणना करते समय निर्णय, डिक्री या आदेश की प्रतियां प्राप्त करने में लगे समय को बाहर रखा जाता है।

10. धारा 14 न्यायालय की अधिकारिता के बिना bona fide कार्यवाही में समय की बहिष्करण के संबंध में क्या कहती है?

उत्तर : धारा 14 के अनुसार, सीमा की गणना करते समय उस समय को बाहर रखा जाता है जो bona fide कार्यवाही में ऐसे न्यायालय में व्यतीत हुआ हो जिसके पास अधिकारिता न हो।

11. धारा 17 कपट या भूल के संबंध में क्या कहती है?

उत्तर : धारा 17 के अनुसार, सीमा कपट या भूल का पता चलने से शुरू होती है

12. उपभोगाधिकार (Easement) का अधिग्रहण प्रिस्क्रिप्शन द्वारा कब होता है?

उत्तर : धारा 25 के अनुसार, उपभोगाधिकार बीस वर्षों तक निरंतर और अविराम उपयोग से प्राप्त किया जा सकता है (सरकारी संपत्ति के मामले में तीस वर्ष)।

13. अधीनस्थ संपत्ति के पुनरावर्तक (Reversioner) के पक्ष में बहिष्करण कब होता है?

उत्तर : धारा 26 के अनुसार, उपभोगाधिकार प्राप्त करने की सीमा अवधि पुनरावर्तक के विरुद्ध तब तक नहीं चलती जब तक उसका हित कब्जे में न आ जाए।

14. संपत्ति के अधिकार का समापन कब होता है?

उत्तर : धारा 27 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति सीमा अवधि के भीतर संपत्ति के कब्जे के लिए वाद दायर करने में विफल रहता है, तो उसका संपत्ति पर अधिकार ही समाप्त हो जाता है।

15. बचाव (Savings) का क्या प्रावधान है?

उत्तर : धारा 29 विशेष या स्थानीय कानूनों को बचाती है जो अलग सीमा अवधि निर्धारित करते हैं, जब तक कि उन्हें स्पष्ट रूप से बाहर न किया गया हो।

16. ऐसे वादों के लिए क्या प्रावधान है जिनकी सीमा अवधि 1908 अधिनियम से कम है?

उत्तर : धारा 30 के अनुसार, जिन वादों की सीमा अवधि 1963 अधिनियम में 1908 अधिनियम से कम है, वे पुराने या नए दोनों में से जो पहले समाप्त हो, उसी अवधि में दायर किए जा सकते हैं।

17. प्रतिबंधित या लंबित वादों के संबंध में क्या प्रावधान है?

उत्तर : धारा 31 के अनुसार, अधिनियम में कुछ भी ऐसा नहीं है जो प्रतिबंधित वादों को पुनर्जीवित करे, और लंबित वाद पुराने कानून द्वारा संचालित होते रहेंगे।

Sample Preview

www.LinkingLaws.com

Linking Laws

Link Life with Law...

Courses Offered

Judiciary Guidance Program (JGP)

For Judiciary, Advocacy & AI Drafting

15 Months Duration Course

Advocacy Guidance Program (AGP)

For Advocacy & AI Drafting

3 Months Duration Course

UGC NET / JRF Regular Course

6 Months Duration Course

Sample Preview

Linking Courses are available at **Linking App.**

Linking Support
988 774 6465 (Classes)
773 774 6465 (Publication)

Scan this QR for Linking Laws BIO (One-for-All)

E-Study Material for Judiciary and Law Exams is available at **Linking App.**